

(2) Nothing contained in Chapter V of the Act or in the Rules made thereunder, shall apply to the proceedings taken under these rules

**6.10. Disposal of articles found in the vehicle.**— (1) The maximum period for claiming by owner of any article left by him in any transport vehicle operated by the State Transport Undertaking shall be 15 days.

(2) Where any article found in any such vehicle is not claimed by its owner within the period mentioned in sub-rule (1), the State Transport Undertaking may sell the article by public auction. A notice of such auction shall be displayed, 15 days in advance of the date of auction on the notice board at the place where the auction is to be held and also publish in the local news papers:

Provided that nothing in this rule shall apply to any article which is of perishable nature or has any danger of losing the greater part of its value and it shall be lawful for the State Transport Undertaking to dispose off any such article at any time as the circumstances may require.

**6.11. Manner of service of an order under Chapter VI.**— Every order under Chapter VI of the Act shall be served:—

- (a) by tendering or delivering a copy thereof to the person on whom it is to be served or his agent, if any, or
- (b) by sending it by registered post at the last known address of the person on whom it is to be served, or
- (c) by fixing a copy of some conspicuous place of his last known residence or place of business in case the above two methods are considered impracticable.

## **CHAPTER VII**

### **CONSTRUCTION, EQUIPMENT AND MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLES**

**7.1. General rules regulation of construction etc. of Motor Vehicle.**—

(1) No person shall use and no person shall cause or allow to be used or to be in any public place any motor vehicle which does not comply with the rules contained in Chapter V of the Act, and rules made under this Chapter by Central/ State Government or with any order thereunder made by Competent Authority to pass such order.

(2) Nothing in this rule shall apply to a motor vehicle which has been damaged in an accident while at the place of the accident or to a vehicle so damaged or otherwise rendered defective while being removed to the reasonably nearest place of repair or disposal.

(3) Provided that where a motor vehicle can no longer remain under the effective control of the person driving the same it shall not be moved except by towing.

**7.2. Use of Red Lights.**— The State Government may allow the use of red light to the front of the motor vehicle carrying high dignitaries or a vehicle escorting such vehicle as may be notified from time to time.

(2) अधिनियम के अध्याय 5 या उसके अधीन बनाये गये नियमों में वर्णित कोई भी बात, इन नियमों के अधीन की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी।

6.10. यान में पाई गई वस्तुओं का निस्तारण.— (1) राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा प्रचालित किसी परिवहन यान में छोड़ दी गई किसी वस्तु के मालिक द्वारा उसकी मांग करने की अधिकतम अवधि 15 दिनों की होगी।

(2) जहां ऐसे किसी यान में पायी गई वस्तु का उसके मालिक द्वारा उप-नियम (1) में बताई गई अवधि के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु को लोकनीलामी द्वारा बेच सकेगा। ऐसी नीलामी का नोटिस, नीलामी की दिनांक से 15 दिन पहले, उस स्थान के नोटिस पर प्रदर्शित किया जायेगा, जहां नीलामी की जानी है और स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित जायेगा:

परन्तु इस नियम की कोई भी बात ऐसी वस्तु को लागू नहीं होगी, जो नष्ट होने वाली है या जिसके अधिकतर भाग चढ़ाने का कोई खतरा हो और राज्य परिवहन उपक्रम के द्वारा ऐसी किसी वस्तु किसी भी समय परिस्थितियों के अनुसार निस्तारण करना विधिसम्मत होगा।

6.11. अध्याय 6 के अधीन आदेश की तामील का तरीका.— अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन प्रत्येक आदेश की तामील निम्न प्रकार से की जायेगी:—

- (क) जिस व्यक्ति पर इसकी तामील की जानी है, उस व्यक्ति को या उसके प्रतिनिधि को, जो कोई हो, उस आदेश की प्रति निविदत्त को सौंप कर, या
- (ख) उस व्यक्ति, जिस पर इसकी तामील की जानी है, के पिछले ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजकर,
- (ग) जब उपर्युक्त दोनों तरीकों को अप्रयोज्य माना जाये, तो उसकी एक प्रति उसके पिछले ज्ञात निवास स्थान या कारबार स्थान पर किसी खुले स्थान पर चिपकवा कर।

## अध्याय—7

### मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण

7.1. मोटर यानों के निर्माण आदि के विनियमन के सामान्य नियम.— (1) किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान जो अधिनियम के अध्याय 5 और इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों या उसके अधीन किसी आदेश जो ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया है, में वर्णित नियमों की अनुपालना नहीं करता है, तो उसे न कोई व्यक्ति उपयोग में लेगा, और न कोई व्यक्ति उसका उपयोग करवायेगा या न ऐसी अनुमति देगा।

(2) इस नियम की कोई भी बात, ऐसे मोटर यान को लागू नहीं होगी, जो किसी दुर्घटना में दुर्घटना स्थल पर क्षतिग्रस्त हो गया है, दुर्घटना स्थल पर हो, या इस प्रकार क्षतिग्रस्त यान को या अन्यथा खराब हो गये यान को, जब कि उसे मरम्मत या निस्तारण के निकटतम स्थान के लिये उचित रूप से हटाया जा रहा था।

(3) परन्तु जहां कोई मोटर यान उसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण के अधीन अब नहीं चल सकता हो, तो उसे सिवाय खेंचने के, नहीं चलाया जायेगा।

7.2. लाल बत्तियों का प्रयोग.— राज्य सरकार उच्च पदस्थ व्यक्तियों को वहन करने वाले या यान की सुरक्षा करने वाले यान के सामने लाल बत्ती के प्रयोग की अनुमति दे सकेगी, जो समय पर अधिसूचित की जा सकेगी।

**7.3. Mirror.**— Every motor vehicle, other than a transport vehicle not being a Motor cab or a Motor Cycle having not more than two wheels and to which a Side Car is not attached, shall be fitted either internally or externally and every transport vehicle, other than a Motor Cab, shall be fitted externally with a mirror so placed that the driver have a clear and distinct vision of vehicle approaching from the rear:

Provided that the State Government may, by general or special order, exempt any transport vehicle or class of transport vehicles from the provision of this rule on such conditions as may be specified in the order, if it is satisfied, that having regard to the construction of such vehicles or class of vehicles fitting of a mirror does not serve any useful purpose.

**7.4. Restriction regarding television set or video in the Motor Vehicle.**— No television set or video shall be fitted or kept on or near the dash board of the motor vehicle or shall be kept within the view of the driver.

**7.5. Dangerous projection.**— (1) No mascot or other similar fitting or devices shall be fitted on any motor vehicle registered in India, in any position where it is likely to strike any person with whom the vehicle may collide. Unless, the mascot is unlikely to cause injury to any person of any projection thereon.

(2) No motor vehicle shall be permitted to be used which is so constructed that any axle hub or hubcap projects laterally more than ten centimeter beyond the rim of the wheel to which it is attached, unless the hub or hubcap dose not project laterally beyond the body or wings of the vehicle and is provided with an adequate guard.

**7.6. Springs.**— Every motor vehicle and every trailer, drawn thereby shall be equipped with suitable and sufficient means of springing adequately maintained in good and sound condition between the road wheels and the frame of the vehicle:

Provided that this rules shall not apply to,—

- (i) any motor vehicle registered in India before the first day of April, 1951 if any means of springing with which it is fitted are adequately maintained in good and sound condition.
- (ii) any tractor not exceeding (four thousand five hundred and thirty six kilograms) in weight unladen if all the unsprung wheels of the tractor are fitted with pneumatic tyres;
- (iii) any land tractor, land implement, agricultural trailer, trailer equipped with pneumatic tyre having axle weight not exceeding (3050)kilograms avoirdupois, or any trailer used solely for the haulage of felled tyres or such other heavy loads as cannot be carried on spring;
- (iv) Vehicle designed for use in works or in private premises and used on a road only in passing from one part of the works of premises to another, or to works or premises within a distance of 3.2. kilometers;
- (v) Such motor vehicle or class of motor vehicles not fitted with the means of springing by the manufacturer which the Government, may, by general or special order, declare to be otherwise suitable for use on public roads on the conditions specified in the orders.

**7.3. दर्पण.**— किसी परिवहन यान से भिन्न प्रत्येक मोटर यान में, जो ऐसी मोटर-कैब या मोटर यान नहीं है, जिसके दो पहियों से अधिक नहीं है और जिसके साथ साइड-कार संलग्न नहीं है, मोटर-कैब की ओर या बाहर की ओर मोटर-कैब से भिन्न प्रत्येक परिवहन यान में, बाहर की ओर एक दर्पण इस प्रकार लगाया और रखा जायेगा कि उसके चालक को पीछे से आ रहे यानों का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे सके:

परन्तु राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी परिवहन यान या परिवहन यानों को इस नियम के उपबन्धों से उस आदेश में दी गई ऐसी शर्तों पर मुक्त कर सकेगी, यदि उसका मान्य हो जाये कि ऐसे यानों या यानों की श्रेणी के निर्माण को ध्यान में रखते हुए दर्पण लगाने का उपयोगी प्रयोजन पूरा नहीं होता है।

**7.4. मोटर यानों में टेलिविजन सेट या वीडियो के बारे में प्रतिबन्ध.**— कोई टेलिविजन सेट किसी मोटर यान के सामने के बोर्ड पर या उसके पास न तो लगाया जायेगा और न रखा जावेगा जो चालक की दृष्टि के भीतर नहीं रखा जायेगा।

**7.5. छतरनाक निकला हुआ भाग.**— (1) कोई सौभाग्य सूचक या अन्य कोई समान फिटिंग किसी भी भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान पर ऐसी स्थिति में नहीं लगायी जायेगी, जहां किसी व्यक्ति को, जिससे वह टकराये, चोट पहुंचने की संभावना हो, जब तक कि सौभाग्य सूचक का बाहर निकला हुआ भाग किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने वाला न हो।

(2) ऐसा कोई मोटर यान उपयोग में लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जो इस प्रकार से निर्मित या बनाया गया हो कि कोई एक्सल हब या हब कैप उस पहिये की रिम से, जिससे वह जुड़ा हुआ है, दस सेंटीमीटर से अधिक सीधा निकला हुआ हो, जब तक कि वह हब या हब कैप यान की बॉडी या विंग का हिस्सा बाहर सीधा निकला हुआ न हो और पर्याप्त सुरक्षित ढक्कन न लगा हो।

**7.6. स्प्रिंग्स.**— प्रत्येक मोटर यान और उसके द्वारा खेंचा जाने वाला प्रत्येक ट्रेलर स्प्रिंगिंग के लिए पर्याप्त और पर्याप्त साधनों से सज्जित होगा, जिसे यान के ढांचे और सड़क के पहियों के बीच में अच्छी और सही दशा में पर्याप्त रूप से संधारित किया गया हो:

परन्तु यह नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा—

- (i) पहली अप्रैल 1951 के पहले भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी यान को, यदि वह स्प्रिंगिंग के किसी साधन से युक्त है जो अच्छा और सही दशा में पर्याप्त रूप से संधारित है।
- (ii) यदि बिना स्प्रिंग वाले सभी पहियों में हवादार टायर लगे हों, तो कोई ट्रैक्टर (जो चार हजार पांच सौ छत्तीस किलोग्राम) लदान रहित वजन से अधिक नहीं है।
- (iii) कोई लैण्ड ट्रैक्टर, लैण्ड इम्प्लीमेंट, खेती के काम का ट्रेलर, हवादार टायरों से युक्त ट्रेलर जिसका धुरी वजन 3050 किलोग्राम एवर्ड्रॉपोइज से अधिक न हो, या कोई ट्रेलर जो केवल फेल्ड टायर्स के हॉलेज के लिये या ऐसे भारी सामान को ले जाने से काम आता है, जिसे स्प्रिंग्स पर नहीं ले जाया जा सकता।
- (iv) ऐसा यान जो किसी कारखाने या निजी परिसर में काम लेने के लिये बनाया गया है और जो सड़क पर केवल वर्क्स या परिसर के एक भाग से दूसरे या वर्क्स या परिसर के भीतर 3.2 किलोमीटर की दूरी के भीतर काम में लिया जाता है।
- (v) ऐसे मोटर यान या मोटर यानों की श्रेणी जो निर्माता द्वारा स्प्रिंगिंग के साधनों से युक्त नहीं किये गये हैं, जिनको सरकार द्वारा, किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उन आदेशों में वर्णित शर्तों पर सार्वजनिक सड़क पर काम में लेने के लिये अन्यथा उपयुक्त घोषित किया हो।

**7.7. Mudguard.**— Every motor vehicle except a tractor or a trailer, shall unless adequate protection is afforded by the body of the motor vehicle, be provided with mudguards or other similar fitting to catch, so far as practicable mud or water thrown up by the rotation of the wheels.

**7.8. Attachment to motor vehicle.**— (1) Every side-car attached to a motor cycle shall be so attached, at left hand side of the motor cycle, that the wheel, thereof is not outside perpendicular planes at right angles to the longitudinal axis of the rear of the motor cycle.

(2) Every pillion seat attached to a motor cycle shall have;—

- (i) two foot-rests one on either side of and directly below the seat fitted in such a manner that a person sitting on the pillion seat can rest his feet on such foot-rests;
- (ii) a suitably sprung cushion seat; and
- (iii) a hand grip fitted to the front of the seat.

(3) No pillion seat shall be attached to a motor cycle with less than 45 cc. ENGINE.

(4) The rear wheel of every motor cycle on which a pillion seat is fixed, shall be covered by a protective device, covering two-thirds of the areas of the rear wheel so as to present the clothes of the pillion rider from getting entangled in the spokes thereof.

**7.9. Communication with driver.**— Every motor vehicle for the use of passengers in which the driver's seat is separated from any passenger's compartment by a fixed partition which is not capable of being readily opened shall be furnished with efficient means to enable the passengers in such compartment and the conductor, if any to signal to the driver to stop the vehicle.

**7.10. Use of military colours and registration marks prohibited.**— (1) No motor vehicle other than a military motor vehicle shall be used, in any public place, unless it is painted in colours scheme different from that usually employed for military motor vehicle.

(2) No such motor vehicle shall exhibit or carry any military registration mark.

### SPECIAL RULES APPLICABLE TO ALL PUBLIC AND PRIVATE SERVICE VEHICLES

**7.11. General.**— Every public service and private service vehicle, and all parts thereof including paint work or varnish, shall be maintained and in a clean and sound condition, and the engine mechanism and all working parts in reliable working order.

**7.12. First-Aid-Box.**— Every public service and private service vehicle shall carry a First-Aid equipment in the aerosol bottles approved by Bureau of Indian Standard containing medicine for burns, wound, painkillers and dressing material as prescribed by the State Transport Authority and dust proof First-Aid-Box containing the following articles namely:—

- (i) a leaflet containing First-Aid instructions approved by the State Government from time to time;

7.7. कीचड़-रक्षक.— जब तक कि मोटरयान की बॉडी द्वारा पर्याप्त बचाव प्रदान नहीं किया गया किसी ट्रेक्टर या ट्रेलर से भिन्न प्रत्येक मोटर यान में कीचड़ रक्षक या इसी प्रकार की अन्य फिटिंग लायी जावेगी, जो पहियों के घूमने से फेंके गये कीचड़ या पानी को जहां तक व्यवहार्य हो, रोक सके।

7.8. मोटर यान का अटेचमेंट.— (1) मोटर साइकिल से संलग्न प्रत्येक साइड कार मोटर साइकिल के बायें हाथ की ओर इस प्रकार जोड़ी जायेगी कि उसका पहिया मोटर साइकिल के सामने पीछे के अत्यधिक निकले हुए बिन्दुओं में से गुजरने वाली मोटर साइकिल की देशान्तरीय धुरी से ऊपर धरातल से समकोणों से बाहर न हो।

(2) मोटर साइकिल से संलग्न प्रत्येक पिछली सीट में निम्नलिखित होंगे:-

- (i) दो पांवदान, एक-एक दानों ओर तथा बैठक के ठीक नीचे इस प्रकार से लगाये गये हों कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के पांव ऐसे पांवदान पर आराम से रह सके;
- (ii) एक उपयुक्त स्प्रिंगदार गद्दी वाली सीट; और
- (iii) सीट के सामने लगी हुई हैंड ग्रिप।

(3) 45 सी.सी. इन्जन से कम वाली मोटर साइकिल में कोई पिछली सीट नहीं लगायी जायेगी।

(4) प्रत्येक मोटर साइकिल का पिछला पहिया, जिसक पर पिछली सीट नहीं लायी जायेगी। युक्ति ढका होगा, जो पिछले पहिये के दो तिहाई क्षेत्र को इस प्रकार ढकेगा कि वह पीछे वाले के कपड़ों पहिये की ताड़ियों में फंसने से बचा सके।

7.9. चालक से सम्प्रेषण.— यात्रियों के उपयोग के लिये प्रत्येक मोटर यान में, जिसमें चालक की सीट को यात्रियों के भाग से किसी स्थिर विभाजक से अलग कर दिया गया है, जिसे एकदम नहीं हटा जा सकता हो, ऐसा दक्ष साधक प्रदान किया जायेगा कि ऐसे भाग में से यात्रीगण और परिचालक, कोई भी हो, यान को रोकने के लिये चालक को संकेत दे सकें।

7.10. सैनिक रंग और रजिस्ट्रीकरण-चिन्हों के उपयोग का निषेध.— (1) सैनिक मोटर यान अलावा अन्य किसी मोटर यान को सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लिया जायेगा, जब तक कि उसका रंग, सैनिक मोटर यानों में साधारणतया काम में ली जाने वाली रंग योजना से भिन्न हो।

(2) ऐसा कोई मोटर यान किसी सैनिक रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह का प्रदर्शन या वहन नहीं करेगा।

### सभी सार्वजनिक और निजी सेवा यानों को लागू विशेष नियम

7.11. सामान्य.— प्रत्येक सार्वजनिक सेवा और निजी सेवा यान और उनके सभी भागों को, मय या वार्निश के कार्य के, साफ और सही दशा में और इन्जन के मैकेनिज्म और सभी कार्यकरण पुर्जों निरवसनीय चालू हालत में रखा जायेगा।

7.12. प्राथमिक सहायता पेटिका.— प्रत्येक सार्वजनिक सेवा और निजी सेवा यान में भारतीय सरकार संस्थान द्वारा अनुमोदित प्राथमिक सहायता की सामग्री बोतलों (erosal bottles) में वहन की जायेगी, जिनमें राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विहित जल जाने, घाव, दर्दनाशक के लिये औषधियां और बांधने का सामान (ड्रेसिंग) होगा और धूल से रक्षित प्राथमिक सहायता पेटिका होगी, जिसमें निम्नलिखित सामान होगा, अर्थात्:-

- (i) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्राथमिक सहायता के निर्देशों की एक पुस्तिका;

- (ii) twenty-four sterilised finger dressing;
- (iii) twelve sterilised hand and foot dressings;
- (iv) twelve sterilised large or body dressings;
- (v) one extra large, two large and ten small sterilised burn dressings;
- (vi) two and half ounce packets of sterilised cotton wool;
- (vii) a bottle of 2 percent tincture of Iodine or a tube of antiseptic cream containing 0.5 percent of centrimide B.P. in 9 non greasy base;
- (viii) A bottle of Sal Volatile;
- (ix) An empty bottle fitted with cork and Camel hair brush for eye drops; and
- (x) Two medicine glass:

Provided that, the State Government may, by a general or special order, exempt from the provisions of this rule, any public service or private service vehicle plying in such area or areas or on such particular route or routes, and on such conditions, if any, as may be specified in the order; if it is satisfied that medical aid is readily available in such area or areas or routes.

**7.13. Stability.**— (1) The stability of a double decked public service and private service vehicle shall be such that when loaded with weights of 59 kilograms per person placed in the correct relative positions to represent the driver and conductor (if carried) and a full complement of passengers on the upper deck only, if the surface on which the vehicle stands were tilted to either side to an angle of 28 degrees from the horizontal, the point at which over turning occurs would not be reached.

(2) The stability of a single-decked public service vehicle other than a motor cab or a single-decked trolley bus and private service vehicle shall be such that under any conditions of load, at an allowance of 68 kilograms per passenger and his personal luggage, for which the vehicle is registered, if the surface on which the vehicle stands were tilted to either side of an angle of 35 degrees from the horizontal, the point at which over-turning occurs would not be reached.

(3) The stability of a single-decked trolley bus shall be such that under any conditions of load, at an allowance of 68 kilograms per passenger and his personal luggage for which the vehicle is registered if the surface on which the vehicle stands are tilted either side to an angle of 32 degrees from the horizontal, the point at which over turning occurs would not be reached.

(4) For the purpose of conducting tests of stability the height of any stop used to prevent wheel of the vehicle from slipping sideways shall not be greater than two-thirds of the distance between the surface upon which the vehicle stands before it is tilted and that part of the rim of that wheel is loaded in accordance with the requirements of this rule.

**7.14. Seating Room.**— <sup>1</sup>[(1)] Every public service vehicle other than a motor cab <sup>2</sup>[/maxi cab] shall conform to the norms of seating space, back rest, size and type of seat provided in the table given below:—

1. Ins. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).
2. Ins. by G.S.R. 56, dated 15.2.2005 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 15.2.2005). (w.e.f. 15.2.2005).

- (ii) अंगुली पर बांधने की कीटाणुरहित चौबीस पट्टियां;
- (iii) हाथ और पांव पर बांधने की कीटाणुरहित बारह पट्टियां;
- (iv) बड़ी या शरीर के लिये बांधने की कीटाणुरहित बारह पट्टियां;
- (v) जलने पर बांधने की कीटाणुरहित एक बहुत बड़ी, दो बड़ी और दस छोटी पट्टियां;
- (vi) कीटाणुरहित रूई के दो औंस और आधे औंस के पैकेट्स;
- (vii) दो प्रतिशत टिंचर आयोडिन की एक बोतल या कीटाणुनाशक क्रीम की एक ट्यूब जिसमें 0.5 प्रतिशत Certimide B.P. 9 non-greasy base पर हो;
- (viii) Sal Volatile की एक शीशी;
- (ix) एक खाली बोतल जिसके कार्क लगा हो और एक ऊंट के बालों का बुश, आंख में बूंदों के लिये, और
- (x) दो दवा देने के लिये कांच के पात्र:

परन्तु राज्य सरकार, किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किन्हीं सार्वजनिक सेवा या निजी सेवा यानों को जो ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में या ऐसे विशेष मार्ग या मार्गों पर चलते हैं, और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जो आदेश में बताई गई हो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या मार्गों में चिकित्सकीय सहायता आसानी से उपलब्ध है, तो वह इस नियम के उपबन्धों से उन्हें मुक्त कर सकेगी।

**7.13. स्थिरता.**— (1) किसी दुमंजिली सार्वजनिक सेवा और निजी सेवा यान की स्थिरता ऐसी होगी कि जब वह 59 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के वजन से भारित और उसे यही पारस्परिक स्थिति में चालक और परिचालक (यदि वहन किया गया हो) और ऊपर की मंजिल में केवल यात्रियों का पूरा भाग हो, यदि वह धरातल जिस पर यान खड़ा है, किसी भी ओर क्षितिज रेखा से 28 डिग्री के कोण पर झुक जाये, तो वह बिन्दु जिस पर गाड़ी उलट जाती है, नहीं पहुंचेगा।

(2) किसी मौटर-कैब या एक मंजिली ट्राली बस से भिन्न अन्य एकल-मंजिले सार्वजनिक सेवा यान और निजी सेवा यान की स्थिरता ऐसी होगी कि भार की किसी दशा के अधीन, जिसमें 68 किलोग्राम प्रति यात्री और उसके व्यक्तिगत सामान की अनुमति देते हुए, जिसके लिये यान रजिस्ट्रीकृत है, यदि वह धरातल जिस पर वह यान खड़ा है, किसी भी ओर क्षितिज रेखा से 35 डिग्री के कोण पर झुक जाये तो वह बिन्दु जिस पर गाड़ी उलट जाती है, नहीं पहुंचेगा।

(3) एक मंजिली ट्राली-बस की स्थिरता ऐसी होगी कि भार की किसी दशा के अधीन, जिसमें 68 किलोग्राम प्रति यात्री और उसके व्यक्तिगत सामान की अनुमति देते हुए, जिसके लिये यान रजिस्ट्रीकृत है, यदि वह धरातल जिस पर वह यान खड़ा है, किसी भी ओर क्षितिज रेखा से 32 डिग्री के कोण पर झुक जाये तो वह बिन्दु जिस पर गाड़ी उलट जाती है, नहीं पहुंचेगी।

(4) स्थिरता के परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये किसी स्टोप जो यान के पहिये को साइड की ओर फिसलने से रोकने के लिये काम में लिया जाता है, उसकी ऊंचाई, धरातल जिस पर यान झुकने से पहले खड़ा है और उस पहिये के रिम का वह भाग जो इस नियम की शर्तों के अनुसार भारित है, के बीच की दूरी के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

**7.14. बैठने का स्थान.**— <sup>1</sup>[(1), मौटर-कैब <sup>2</sup>मैक्सी कैब, के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक सेवा यान, इस सारणी में नीचे दिये गये बैठने के स्थान, पीठ के आराम और बैठक के आकार और प्रकार के मानदण्डों के अनुसार होगा :—

1. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 4.12.2003).
2. जी.एस.आर. 56, दिनांक 15.2.2005 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 15.2.2005 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 15.2.2005).



Description	Ordinary	Express	Semi deluxe	Deluxe
I. (a) distance of seats back to back when seats are placed across the vehicle and facing in the same direction.	Min. <sup>1</sup> [....] 68 Cms.	Min. <sup>1</sup> [....] 68 Cms.	Min. <sup>1</sup> [....] 75 Cms.	Min. <sup>1</sup> [....] 78 Cms.
(b) Seats are placed across the vehicle but facing each other.	127 Cms.	Not permissible	Not permissible	Not permissible
(c) Seats are placed along the length of the vehicles and facing each other.	137 Cms.	Not permissible	Not permissible	Not permissible
II. Size of seats.	38 Sq. Cms.	38 Sq. Cms.	42 Sq. Cms.	45 Sq. Cms.
III. Height of the back of the seat above seat level.	40 Cms.	40 Cms.	62 Cms.	66 Cms.
IV. Type of seat and back of cushion.	Cushion shall be covered with suitable material capable of being kept in clean and sanitary condition	Phoyurethane foam or rubber foam cushion of minimum 3 Cm. thickness with upholstery high quality leather cloth.	Moulded rubber foam cushion of minimum 5 Cms. thickness with upholstery high quality PVC leather cloth.	Moulded rubber foam cushion of minimum 5 Cms. thickness with upholstery high quality PVC leather cloth the seats shall be luxury type with head rest at the extreme ends and foldable hand rest in between two seats.

1. Deleted by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).

विवरण	साधारण	एक्सप्रेस	सेमी डिलक्स	डिलक्स
(क) सीटों की दूरी पीठ से पीठ जब सीटें यान के आर- पार एक ही दिशा में देखते हुए रखी गई हो	न्यूनतम <sup>1</sup> [.....] 68 से.मी.	न्यूनतम <sup>1</sup> [.....] 68 से.मी.	न्यूनतम <sup>1</sup> [.....] 75 से.मी.	न्यूनतम <sup>1</sup> [.....] 78 से.मी.
(ख) सीटें यान के आरपार परन्तु एक- दूसरे के सामने देखते हुए रखी गई हैं	127 से.मी.	अनुज्ञेय नहीं	अनुज्ञेय नहीं	अनुज्ञेय नहीं
(ग) सीटें यान की लम्बाई के साथ और एक दूसरे सामने देखते हुए रखी गई हैं	137 से.मी.	अनुज्ञेय नहीं	अनुज्ञेय नहीं	अनुज्ञेय नहीं
सीटों का आकार बैठक तल से ऊपर सीट की पीठ की ऊँचाई	38 व.से.मी. 40 से.मी.	38 व.से.मी. 40 से.मी.	42 व.से.मी. 62 से.मी.	45 व.से.मी. 66 से.मी.
सीट की प्रकार और गद्दीदार पीठ	गद्दे सहित जिसे उचित सामग्री से ढका जायेगा जो साफ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखी जाने योग्य हो।	फोयर थेंस फोम या रबड़ फोम के गद्दे जो कम से कम 3 से.मी. मोटाई के होंगे जिन पर उच्च कोटि का लेदर क्लॉथ लगा होगा।	मोल्डेड रबड़ फोम के गद्दे जो कम से कम 5 से.मी. मोटाई के होंगे और उच्च कोटि का पीवीसी लेदर क्लॉथ लगा होगा।	मोल्डेड रबड़ फोम के कम से कम 5 से.मी. मोटाई के गद्दे जिन पर उच्च कोटि का पीवीसी लेदर क्लॉथ लगा होगा। बैठकें आरामदायक होंगी, जिसके सिर व हाथों के लिये आराम के साधन होंगे, जो आखिरी छोर पर होंगे और दो सीटों के बीच में हाथों के लिये आराम से साधन समेटने होंगे।

<sup>1</sup>[(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), stage carriage vehicles having seating capacity upto 20 excluding driver and conductor, plying exclusively within the Municipality/ U.I.T. area, the seating arrangement shall be such that some seats shall be placed along the vehicle and some across the vehicle in such a way that seats placed along the inner body of vehicle in two rows facing each other and the seats placed across the vehicle shall be at the extreme end of the vehicle and the space left thereafter may be utilized for the standing passengers, and for stage carriage vehicle plying exclusively within the Municipality/U.I.T. area, having seating capacity more than 20 excluding driver and conductor, the seating arrangement shall be such that the seats shall be placed across the vehicle facing in the same direction having a seating arrangement of 2 x 2 pattern but in such vehicles the seats in front of the rear gate and the extreme end shall not be placed, so that such vacant space may be utilised for standing passenger.

(3) The seats and back of the seats of vehicles mentioned in sub-rule (2) shall be provided with fixed cushions. The cushions shall be covered with leather cloth of good quality or other material of such kind that they are capable of being kept in a clear and sanitary cover. The size of the seat provided for the passengers shall not be less than 38cm x 38cm.

(4) Subject to provisions contained in rule 7.17, the stage carriage vehicles mentioned in sub-rule (2) may carry standing passengers upto 50% of its seating capacity.]

**Explanation.**— 1. All the vehicles having the specification prescribed for vehicle of All India Permits shall be treated as Deluxe Buses.

2. If the semi deluxe or deluxe buses are air-conditioned or provided with facility of viewing Video films shall be treated as luxury buses.

3. If ordinary bus or bus having specification of express bus and plying as a stage carriage and does not stop any place before running at last 40 kms. Except of stops specially permitted by Regional Transport Authority or State Transport Authority as the case may be.

4. If ordinary or express buses providing night service, seats of side minimum 40 Cms. Sq. and back to back distance 40 Cms. with Sq. back above seat level 60 Cms. shall be provided.

<sup>2</sup>[7.14A. **Sleeper coach.**— <sup>3</sup>[(1) Sleeper Coach shall mean a Motor Vehicle designed or constructed to provide facility to either sleep or sleep and sit having two tier, arrangement with berth necessarily on the upper tier shall have 1x1 or 2x1 berth arrangement. The lower tier may have either of the following arrangements:—

- (I) Having birth arrangement of 1x1 or 2x1 berth along the chassis.
- (II) Having seating arrangement of 2x2 or 1x1 seats across the chassis.
- (III) Any other arrangement subject to approval by State Transport Authority.]

1. Subs. by G.S.R. 56, dated 15.2.2005 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 15.5.2005). (w.e.f. 15.5.2005).

2. Ins. by Ibid.

3. Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015)

1[(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से चलने वाले, ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले मंजिली गाड़ी यानों में बैठने की व्यवस्था ऐसी होगी कि कुछ सीटें यान के साथ-साथ और कुछ यान में आड़ी ऐसी रीति से व्यवस्थित की जायेंगी कि एक दूसरे के सामने दो कतारों में यान की भीतरी बॉडी के साथ साथ रखी गयी सीटें और यान में आड़ी रखी गयी सीटें यान के आखिरी छोर पर होंगी और उसके पश्चात् शेष रहे स्थान का उपयोग खड़े यात्रियों के लिये किया जा सकेगा और नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से चलने वाले, ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक सीट क्षमता वाले मंजिली गाड़ी यानों में बैठने की व्यवस्था ऐसी होगी कि 2 x 2 पैटर्न की बैठने की व्यवस्था रखते हुए एक ही दिशा में देखते हुए आड़ी रखी जायेगी किन्तु ऐसे यानों में पिछले दरवाजे के सामने और आखिरी छोर पर सीटें नहीं रखी जायेंगी जिससे ऐसे खाली स्थान का उपयोग खड़े यात्रियों द्वारा किया जा सके।

(3) उप-नियम (2) में वर्णित यानों की सीटों और सीटों की पीठ पर स्थायी गद्दियां उपलब्ध करायी जायेंगी। गद्दियां बड़ियां क्वालिटी के चमड़े के कपड़े या ऐसी सामग्री से आवृत होंगी जिसे साफ और स्वच्छ कवर से ढका जा सके। यात्रियों के लिये उपलब्ध करायी गयी सीट का आकार 38 से.मी. x 38 से.मी. से कम नहीं होगा।

(4) नियम 7.17. में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, उप-नियम (2) में वर्णित मंजिली गाड़ी यान उनकी बैठक क्षमता से 50 प्रतिशत तक खड़े यात्री ले जा सकेंगे।]

**स्पष्टीकरण.**— 1. सभी यान जो अखिल भारतीय परमिट के लिये निर्धारित मापदण्ड के हैं, डीलक्स बस समझे जायेंगे।

2. यदि सेमी डीलक्स या डीलक्स बसें वातानुकूलित हैं या उनमें वीडियो फिल्म दिखाने की सुविधा है, तो उनको लक्जरी बस समझा जायेगा।

3. यदि साधारण या द्रुतगामी बस के मापदण्ड वाली बस मंजिली गाड़ी की तरह चलाई जाती है और कम से कम 40 किलोमीटर चलने से पहले किसी स्थान पर नहीं रुकती है, सिवाय उन विरामों पर जो प्रादेशिक प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, द्वारा विशेष रूप से अनुमत हैं।

4. साधारण या द्रुतगामी बसें जो रात्रि सेवा प्रदान करती हैं, तो सीटों का आकार न्यूनतम 40 वर्ग सेमी. और पीठ के पीठ की दूरी 40 से.मी. मय वर्गाकार पीठ के जो बैठके के स्तर के 60 से.मी. ऊपर होगी।

**7.14क. स्लीपर कोच.**— 1[(1) स्लीपर कोच से दो टियर वाला या तो शयन या बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये डिजाइन किया गया या संनिर्मित कोई मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें ऊपरी टियर पर आवश्यक रूप से बर्थ की व्यवस्था होगी जो 1 x 1 या 2 x 1 बर्थ होगी। निचले टियर में निम्नलिखित में से कोई व्यवस्था होगी:—

(i) चैसिस के साथ साथ 1 x 1 या 2 x 1 बर्थ व्यवस्था।

(ii) चैसिस में आड़ी 2 x 2 या 1 x 1 की बैठक व्यवस्था।

(iii) राज्य परिवहन प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्याधीन रहते हुए कोई अन्य व्यवस्था।]

जी.एस.आर. 56, दिनांक 15.2.2005 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 15.2.2005 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 15.2.2005).

उपरोक्त द्वारा जोड़ा एवं लागू किया गया।

अधिस. एफ. 7(3) परि/रुल्स/एच.व्यू/2005/IV/16885, दिनांक 31.08.2015 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) Every sleeper coach shall conform to the following specifications, namely:-

- (i) The length of each berth shall not be less than 182 cms.
- (ii) The width of each berth shall not be less than 60.96 cms.
- (iii) The vehicle shall have a front entrance-cum-exit door on left side operated by driver/attendant equipped with assist rails in front of the front axle.
- (iv) The over all height of the vehicle shall have a maximum of 3.8 meters including A.C. hood.
- (v) The interior height of the vehicle shall have maximum of 2.15 meters (headroom).
- (vi) Roof ceiling shall be provided with soft material of equivalent material like ABS plastic to prevent impact.
- (vii) The width of gangway shall not be less than 60.96 cm.
- (viii) The thickness of upper berth shall not be less than 65 mm and should be also covered with neat fabric.
- (ix) The clear headroom for seating passengers shall not be less than 850 mm.
- (x) The clear headroom for the upper berth shall not be less than 650 mm..
- (xi) Optical chain in the middle or longitudinal guard between the two chains shall be provided for upper berth.
- (xii) Ladder steps for upper berth shall be provided and it shall be fixed at a minimum height of 250 mm and the distance between each step shall be 300 mm.
- (xiii) An assist handle shall be provided for comfortable occupation of the upper berth at a convenient height.
- (xiv) No seat shall be permitted to be fitted in the gangway.
- (xv) There shall also be sufficient space underneath the lower berth for keeping the luggage. Wire ropes are to be provided for fastening the luggage.
- (xvi) Hatracks inside the saloon shall not be permitted.
- (xvii) यान में वीवेलर सस्पेंशन या एयर सस्पेंशन या दोनों का संयोजन होगा।
- (xviii) पृष्ठ भाग में आपात निकास की व्यवस्था होगी।
- (xix) 50 मि.मी. चौड़ाई की सरसों सी पीले रंग की परावर्तक टेप बम्पर के सीमान्त स्तर पर पृष्ठ और अग्रभाग की ओर लगायी जायेगी।
- (xx) प्रत्येक बर्थ पर स्वच्छ फेब्रिक कवर होगा जो स्वच्छ और स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थाओं में रखे जाने योग्य हो।
- (xxi) अग्निशामक उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xxii) First Aid Box with necessary medicines shall be provided and it shall be checked every fortnight for its contents and the validity of medicines.
- (xxiii) Guard to be provided for lower berths in line with upper berths with chain.

(2) प्रत्येक स्लीपर कोच निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

- (i) प्रत्येक बर्थ की लम्बाई 182 से.मी. से कम नहीं होगी।
- (ii) प्रत्येक बर्थ की चौड़ाई 60.96 से.मी. से कम नहीं होगी।
- (iii) यान में बायीं ओर के अग्रभाग में ड्राइवर/सहायक द्वारा परिचालित प्रवेश एवं निकास द्वारा होगी जो अग्र एक्सेल के आगे सहायक रेल से सुसज्जित होगा।
- (iv) यान की ए.सी. हुड सहित कुल ऊंचाई अधिकतम 3.8 मीटर होगी।
- (v) यान के अन्दर की ऊंचाई अधिकतम 2.15 मीटर (हैड रूम) होगी।
- (vi) भीतर की छत आघात रोकने के लिये ए.बी.एम. प्लास्टिक जैसी नरम सामग्री से सज्जित होगी।
- (vii) गैंग-वे की चौड़ाई 60.96 से.मी. से कम नहीं होगी।
- (viii) ऊपरी बर्थ की मोटाई 65 मि.मी. से कम नहीं होगी और स्वच्छ फेब्रिक से आच्छादित भी होगी।
- (ix) बैठने वाले यात्रियों के लिये क्लीयर हैडरूम 850 मि.मी. से कम नहीं होगा।
- (x) ऊपरी बर्थ के लिये क्लीयर हैडरूम 650 मि.मी. से कम नहीं होगा।
- (xi) ऊपरी बर्थ के लिये मध्य में वैकल्पिक चैन या दो चैनों के बीच देशान्तर गार्ड की व्यवस्था होगी।
- (xii) ऊपरी बर्थ के लिये सीढ़ियों की व्यवस्था होगी और इसे न्यूनतम 250 मि.मी. की न्यूनतम ऊंचाई पर लगाया जायेगा और प्रत्येक सीढ़ी के बीच की दूरी 300 मि.मी. होगी।
- (xiii) ऊपरी बर्थ के आरामदायक उपयोग के लिये किसी सुविधाजनक ऊंचाई पर सहायक हैण्डल की व्यवस्था होगी।
- (xiv) गैंग-वे में कोई सीट लगाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (xv) निचली बर्थ के नीचे सामान रखने के लिये भी पर्याप्त स्थान होगा, सामान बांधने के लिये वायर रोप उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xvi) सैलून के भीतर हैडरैक अनुज्ञात नहीं होंगे।
- (xvii) यान में वीवेलर सस्पेंशन या एयर सस्पेंशन या दोनों का संयोजन होगा।
- (xviii) पृष्ठ भाग में आपात निकास की व्यवस्था होगी।
- (xix) 50 मि.मी. चौड़ाई की सरसों सी पीले रंग की परावर्तक टेप बम्पर के सीमान्त स्तर पर पृष्ठ और अग्रभाग की ओर लगायी जायेगी।
- (xx) प्रत्येक बर्थ पर स्वच्छ फेब्रिक कवर होगा जो स्वच्छ और स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थाओं में रखे जाने योग्य हो।
- (xxi) अग्निशामक उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xxii) आवश्यक औषधियों के साथ प्राथमिक उपचार पेटिका की व्यवस्था होगी और प्रत्येक पन्द्रह दिन में इसकी अन्तर्वस्तु और औषधियों को विधिमान्यता के लिये इसकी जांच की जायेगी।
- (xxiii) निचली बर्थ में लाइन के साथ और ऊपरी बर्थ में चैन के साथ रोक की व्यवस्था होगी।

- (xxiv) Safety guards covered with soft material on either side of the upper berth shall be provided.
- (xxv) Magazine pouches shall be provided at convenient location. Water bottle holders shall also be provided.
- (xxvi) Drinking water shall be provided with ice box.
- (xxvii) Night lamps preferable in blue colour shall be provided in the gangway.
- (xxviii) Individual reading light at convenient location for each shall be provided.
- (xxix) The material used in the construction shall be provided for each passenger reasonably of comfortable quality.

(3) Nothing contained in sub-rule (1) & (2) shall apply upto two years to a vehicle already registered as a sleeper coach on or before from the date of coming into force of Rajasthan Motor Vehicle (Amendment) Rules 2005.]

**7.14-B. [Deleted by Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015)]**  
Before deletion of Rule was as under:—

• **7.14-B. Limit of seating capacity of stage carriage vehicles.**— (1) The minimum seating capacity of a stage carriage vehicle other than a motor cab, an autorickshaw, an express stage carriage vehicle plying within Municipal/U.I.T. limits shall be directly proportionate to the wheel base of the vehicle; and the minimum number of seats to be provided shall be as specified in column (2) of the following Table, leaving to the operator to increase the capacity consistent with other rule relating to the seating capacity having due regard to the type of chassis on which the body is built :

TABLE

Wheel base	Minimum seating capacity including driver and/or conductor
1	2
254 Cms. to 293 Cms.	16
294 Cms. to 305 Cms.	20
306 Cms. to 343 Cms.	25
344 Cms. to 407 Cms.	30
408 Cms. to 432 Cms.	35
433 Cms. to 496 Cms.	45
497 Cms. to 534 Cms.	50
535 Cms. and above.	55

Provided that the minimum number specified above may be reduced by two seats in the case of vehicle having separate entrance and exit :

- (xxiv) ऊपरी बर्थ के दोनों ओर नरम सामग्री से आच्छादित रक्षोपाय होंगे ;  
 (xxv) सुविधाजनक स्थान पर मैगजीन पाऊच उपलब्ध होंगे। पानी की बोतल रखने की भी व्यवस्था होगी।  
 (xxvi) बर्फ पेटिका सहित पेय जल की व्यवस्था होगी।  
 (xxvii) गैंग-वे में अधिमानता: नीले रंग के नाइट लैम्प की व्यवस्था होगी।  
 (xxviii) प्रत्येक के लिये सुविधाजनक स्थान पर व्यक्तिगत अध्ययन लाइट की व्यवस्था होगी।  
 (xxix) संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री प्रत्येक यात्री को समुचित रूप से आरामदायक क्वालिटी की उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उप-नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात स्लीपर कोच के रूप में राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2005 के प्रवृत्त होने की दिनांक को या इससे पूर्व पहले से रजिस्ट्रीकृत किसी यान पर दो वर्ष तक लागू नहीं होगी।]

7.14.ख. [—विलोपित—] अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.व्यू/2005/IV/16885, दिनांक 08.08.2015 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा विलोपित किया गया एवं विलोपन से पूर्व नियम 7.14ख इस प्रकार था—

[7.14.ख. मंजिली गाड़ी यानों की बैठक क्षमता की सीमा.— (1) किसी मोटर-कैब, ऑटोरिक्षा, द्रुत मंजिली गाड़ी या नगरपालिका/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाली किसी मंजिली गाड़ी से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी यान की न्यूनतम बैठक क्षमता यान के व्हील बेस के अनुपातिक होगी; और उपलब्ध करवायी जाने वाली सीटों की न्यूनतम संख्या, चैसिस, जिस पर बौड़ी बनायी गयी है, के प्रकार को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए बैठक क्षमता से सम्बन्धित अन्य नियम से सुसंगत क्षमता में वृद्धि करना प्रचालक पर छोड़ते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्टानुसार होगी:—

### सारणी

व्हील बेस	ड्राइवर और/या कंडक्टर को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम बैठक क्षमता
1	2
254 से.मी. से 293 से.मी.	16
294 से.मी. से 305 से.मी.	20
306 से.मी. से 343 से.मी.	25
344 से.मी. से 407 से.मी.	30
408 से.मी. से 432 से.मी.	35
433 से.मी. से 496 से.मी.	45
497 से.मी. से 534 से.मी.	50
535 से.मी. और उससे अधिक	55

परन्तु पृथक् प्रवेश और निकास वाले यान की दशा में ऊपर विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में से दो कम की जा सकेगी;



Provided also that no reduction of seating capacity noted in the certificate of registration shall be allowed after original registration of the vehicle unless such reduction is necessitated on account of wrong calculation of the measurements or when the body is reconstructed.

(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply to a vehicle already registered on the date of coming into force of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules 2005, provided that when the body is reconstructed at any time, the provisions of sub-rule (1) shall be applicable.]

**7.15. Projection of seats beyond floor space.**— Every stage carriage shall have a body of the saloon type:

Provided that this rule shall not apply to any stage carriage registered on or before April, 1951.

**7.16. Gangway.**— (1) In every compartment of every public service vehicle the entrance to which compartment is from the front or rear, there shall be gangway along the vehicle, and;—

- (i) where seats are placed along the sides of the vehicle there shall be as gangway a clear space of not less than 610 mm. And not more than 630 mm. measured between the fronts of the seats;
- (ii) where seats are placed across the vehicle, there shall be as gangway a clear space of not less than 305 mm. and not more than 315 mm. Between any part of adjoining seats or their supports; and
- (iii) where seats are placed, some along the sides of the vehicle and some across the vehicle, there shall be such gangway or gangways as the State Transport Authority may determined in each particular case:

<sup>1</sup>[Provided that in case of stage carriages plying within the municipal or city limits other than those vehicles having seating capacity upto 20 excluding driver and conductor, the seats shall be placed across the chassis facing in the front direction and there shall be as gangway a clear space of not less than 685 mm and not more than 715 mm.]

(2) Where the vehicle has seats across the full width of the body with separate doors to each seat, a gangway from front to rear of the vehicle shall not be required.

**7.17. Limit of carrying capacity.**— Notwithstanding anything contained in these rules, no public service vehicle other than a motor cab shall be licensed to carry a number of passengers, including those standing in excess of that number obtained by subtracting ninety kilograms from the difference between the registered laden and unladen weight of the vehicle and dividing the resulting figures by sixty-five in the case of a double decked vehicle and single decked vehicle operated exclusively within the municipal and cantonment areas and by seventy five in the case of other single decked vehicles.

<sup>2</sup>[In case of four wheeled motor cabs the seating capacity shall be same as of a private vehicle of same type <sup>3</sup>[.....].

1. Added by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(C)(I), dated 26.7.1995)

2. Subs. by G.S.R. 25, dated 21.6.1996 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 21.6.1996). (w.e.f. 22.6.1996).

3. Deleted by G.S.R. 6, dated 19.4.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 19.4.2002).

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में लिखित बैठक क्षमता में यान के मूल रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसी कमी माप की गलत संगणना के कारण आवश्यक नहीं हो जाती है या जब बॉडी का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2005 के प्रवृत्त होने की दिनांक को पहले से रजिस्ट्रीकृत किसी यान पर लागू नहीं होगी। परन्तु जब बॉडी किसी समय पुनर्निर्मित की जाती है उप-नियम (1) के उपबन्ध लागू होंगे।

7.15. आंगन के स्थान के बाहर सीटों का बाहर निकलना.— प्रत्येक मंजिली गाड़ी सैलून टाइप की बॉडी की होगी:

परन्तु यह नियम अप्रैल, 1951 को या पहले रजिस्ट्रीकृत किसी मंजिली गाड़ी को लागू नहीं होगा।

7.16. सीटों के बीच का रास्ता.— (1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान के प्रत्येक भाग में जिसका सामने से या पीछे से प्रवेश होता है, यान के साथ साथ एक बीच का रास्ता होगा, और:—

(i) जहां यान की साइडों के साथ सीटें लगाई गई हैं, तो सीटों के सामने के बीच में नापी गई जगह स्पष्ट जगह में बीच का रास्ता 610 मिलीमीटर से कम नहीं होगा और 630 मि.मी. से अधिक नहीं होगा;

(ii) जहां यान के आर-पार सीटें लगाई गई हैं, तो पास की सीट के किसी भाग और उनके सहारों के बीच एक स्पष्ट जगह में बीच का रास्ता 305 मि.मी. से कम और 315 मि.मी. से अधिक नहीं होगा; और

(iii) जहां कुछ सीटें यान की बाजू में और कुछ यान के आर-पार लगाई गई हों, तो उसमें ऐसा बीच का रास्ता या रास्ते होंगे, जो किसी विशेष मामले में राज्य परिवहन प्राधिकरण तय कर सकेगा:

1[परन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 20 तक की बैठक क्षमता वाले यानों से भिन्न नगरपालिका या नगर सीमाओं में चलने वाली मंजिली गाड़ियों के मामले में, सीटें सामने की ओर देखती हुई चेसिस पर आड़ी रखी जायेंगी और गैंगवे के रूप में एक खुला स्थान होगा जो 685 मि.मी. से कम और 715 मि.मी. से ज्यादा का नहीं होगा।]

(2) जहां किसी यान में सीटें बॉडी की पूरी चौड़ाई के आर-पार हैं और प्रत्येक सीट के लिये अलग दरवाजे हैं, तो यान के आगे से पीछे तक बीच के रास्ते की आवश्यकता नहीं होगी।

7.17. वहन क्षमता की सीमा.— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मोटर-कैब से भिन्न किसी अन्य सार्वजनिक सेवा यान को यात्रियों की ऐसी संख्या को ले जाने के लिये अनुज्ञप्त नहीं किया जायेगा, मय खड़े यात्रियों के, जो उस संख्या से अधिक हों, जो उस यान के रजिस्ट्रीकृत लदान और लदान रहित वजन के बीच के अन्तर में से नब्बे किलोग्राम घटाने के बाद प्राप्त अंकों को, दुमंजिले यान और ऐसे एक मंजिले यान को केवल नगरपालिका या छावनी क्षेत्रों में चलते हैं, के मामले में पैसठ से भाग देने पर और अन्य एक मंजिले यानों के मामले में पचहत्तर का भाग देने पर प्राप्त होती है।

2[चौपहिया मोटर-कैबों के मामले में बैठक क्षमता वैसी ही होगी जो उसी प्रकार के किसी प्राइवेट यान की है।] 3[.....]

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।
2. जी.एस.आर. 25, दिनांक 21.6.1996 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 21.6.1996 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 22.6.1996).
3. जी.एस.आर. 6, दिनांक 19.4.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 19.4.2002 पर प्रकाशित) द्वारा विलोपित किया गया।

**7.18 Driver's seat.**— (1) No public service vehicle shall be driven other than from the right hand side of the vehicle.

(2) On every public service vehicle space shall be reserved for the driver's seat as to allow him to have full and unimpeded control of the vehicle and in particular:—

- (i) the part of the seat against which the driver's back rests shall not be less than (280 millimeters) from the nearest point of the steering wheel.
- (ii) the width across the vehicle shall be not less than 690 millimeters and shall extend to the left of the centre of the steering column in no case less than 254 millimeters so that a line drawn parallel to the axis of the vehicle through the centre of any gear lever, brake lever or other device to which the driver has to have frequent access line not less than 50 millimeters inside the width reserved for the driver's seat.

(3) Arm-rests for the driver not more than (100 millimeters) wide may be provided within the space specified in clause (ii) of sub-rule (2).

(4) No public service vehicle shall be so constructed that any person may sit or any luggage may be carried on the right hand side of the driver.

(5) Every public service vehicle other than a motor cab shall be so constructed that there shall be separate compartment containing proper seating accommodation for the driver. This compartment may be separated by suitable rigid pacification of metal bar or adequately spaced metal bat, both on the side rigid pacification of metal bar or adequately spaced metal bar, both on the side and on the rear, so as to isolate the driver without obstructing his vision:

Provided that, in the case of a motor cab licensed to carry five passengers, two passengers may be permitted to be carried by the side of the driver's seat.

(6) Every public service vehicle shall be so constructed that, save from the front pillar of the body, if any the driver shall have a clear vision both to the front and through an angle of 90 degree to his right hand side. The front pillar of the body shall be so constructed as to obstruct the vision of the driver to least possible extent.

(7) The sub-rule (1) shall not apply to four wheel drive, jeep, motor cabs.

(8) Notwithstanding anything contained in this rule where the Government, having regard to the availability and utility of any vehicles fitted with left hand steering control of the expediency of their use in public interest, is satisfied that it is necessary so to do the Government may be general of special order, exempt any public service vehicles or class of such vehicles with such control from any of the provisions of this rule, on such terms and conditions, if any, as may be specified in the order.

**7.19. Width of Doors.**— (1) Every entrance and exit of a public service vehicle other than a motor cab shall be at least 540 millimeters in width and of sufficient height:

**7.18. चालक की सीट.**— (1) कोई सार्वजनिक सेवा यान, यान के दायें हाथ की ओर के अलावा जाया जायेगा।

(2) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में चालक की सीट के लिये स्थान सुरक्षित होगा, ताकि वह यान और बे-रोकटोक नियंत्रण रख सके और विशेष रूप से—

- (i) सीट का वह भाग जिस पर चालक की सीट की पीठ टिकती है, स्टीयरिंग व्हील के निकटतम बिन्दु से 280 मिलीमीटर से कम नहीं होगा।
- (ii) यान के आर-पार चौड़ाई 690 मिलीमीटर से कम नहीं होगी और स्टीयरिंग कालम के केन्द्र से बायीं ओर बढ़ी हुई होगी और किसी भी मामले में 254 मिलीमीटर से कम नहीं होगी, ताकि यान की धुरी के समानान्तर खेंची गई रेखा किसी गियर लीवर के केन्द्र में होकर इस प्रकार गुजरे कि ब्रेक लीवर या अन्य युक्ति जिस पर चालक को बार-बार पहुंचना हो, वह चालक की सीट के लिये सुरक्षित चौड़ाई के कम से कम 50 मिलीमीटर भीतर हो।

(3) उप-नियम (2) के खण्ड (ii) में बताये गये स्थान के भीतर चालक के लिये हथे लगाये जा सकते हैं, जो 100 मिलीमीटर से अधिक चौड़े नहीं होंगे।

(4) कोई सार्वजनिक सेवा यान इस प्रकार से निर्मित नहीं किया जायेगा कि चालक के दायें हाथ की ओर कोई व्यक्ति बैठ सके या वहां कोई सामान ले जाया जा सके।

(5) मोटर-कैब के अलावा अन्य प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान को इस प्रकार से निर्मित किया जायेगा कि चालक के लिये बैठने का उचित स्थान एक अलग भाग से हो। इस भाग के बाजू में और पीछे उपयुक्त कठोर धातु की छड़ों को लगाकर या पर्याप्त रूप से धातु की छड़ों का उपयोग कर चालक की दृष्टि में कोई अड़चन न आये इस प्रकार अलग किया जायेगा:

परन्तु मोटर-कैब के मामले में जो पांच यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञप्त है, चालक की सीट के एक और दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

(6) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान इस प्रकार निर्मित किया जावेगा कि बॉडी के सामने के खम्बे को छोड़कर, यदि कोई हो, चालक सामने और अपने दायें हाथ की साइड में 90 डिग्री के कोण तक स्पष्ट देख सके। बॉडी का सामने का खम्ब इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि वह चालक की दृष्टि को कम से कम सम्भावित सीमा तक रुकावट डाले।

(7) उप-नियम (1) चार पहियों से चलने वाली जीप, मोटर-कैबों को लागू नहीं होगा।

(8) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार के किन्हीं यानों की, जिनमें बायें हाथ के स्टीयरिंग नियंत्रण लगा हुआ है, उपलब्धता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जनहित में उनका उपयोग समीचीन होने का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे नियंत्रण वाले किन्हीं सार्वजनिक सेवा यानों या ऐसे यानों की श्रेणी को इस नियम के किसी उपबन्ध से, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, यदि कोई हों, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, मुक्त कर सकेगी।

**7.19. द्वारों की चौड़ाई.**— (1) मोटर-कैब से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान के प्रवेश द्वार और बहिःद्वार कम से कम 540 मिलीमीटर चौड़े और पर्याप्त ऊंचाई के होंगे:

<sup>1</sup>[Provided that the Stage Carriages plying within the municipal or city limits other than vehicles having seating capacity upto 20 excluding Driver and Conductor shall have two separate gates for entry and exit in the left hand side of the body.]

(2) Every entrance and exit of a stage carriage, not being a stage carriage operating within the limits of a municipal or city duly constituted or declared under any law for the time being in force, shall be fitted with doors so as to prevent the passengers from falling out.

**7.20. Grab Rail.**— A grab rail shall be fitted to every entrance or exit other than an emergency exit, of a public service vehicle other than a motor cab, to assist passengers in boarding or alighting from the vehicle.

**7.21. Steps.**— (a) In every public service vehicle other than a motor cab, the top of the tread of the lowest step for any entrance or exit, other than an emergency exit, shall not be more than <sup>2</sup>[400 millimeters] or less than 250 millimeters above the ground when the vehicle is empty. All steps shall be fitted with non-slip treads. Fixed steps shall not be less than 230 millimeters wide and shall in no cases project laterally beyond the body of the vehicle unless they are so projected that they are not liable to injure pedestrians.

(b) Steps in double-decked vehicle. In the case of a double decked vehicle:—

- (i) the risers of all steps leading from the lower to the upper deck shall be closed and no unguarded aperture shall be left at the top landing board;
- (ii) all steps leading from the lower to the upper deck shall be fitted with non-slip treads;
- (iii) the horizontal distance from the nearest point of the riser of the top step to the vertical line passing through the nearest point of the seat opposite to the top tread of the stair case, excluding any grab rail which does not project more than 7.5 centimeters from the back of the seat, shall not be less than 660 millimeters; and
- (iv) the outer-stringer of an outside stair case shall be so constructed or a band shall be so placed, as to act as a screen to person ascending or descending and the height of the outer guard rail shall not be less than 990 millimeters above the front of the tread of each step.

(c) **Exemption**— Sub-rules (a) and (b) shall not apply to a vehicle registered before April, 1951.

**7.22. Cushion.**— The seats of public service vehicle shall be provided with fixed or movable foam or soft cushions, and the cushion shall be covered with leather cloth of good quality or other suitable material so that they are capable of being kept in a clean and sanitary condition.

1. Added by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1993). (w.e.f. 27.7.1993).
2. Subs. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).

1। परंतु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की बैठक क्षमता वाले यानों के अलावा नगरपालिका या नगर की सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियों में बॉडी के बायीं ओर प्रवेश और निकास के लिये पृथक्-पृथक् द्वार होंगे।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक्तः गठित या घोषित नगरपालिका या नगर की सीमाओं के भीतर चलने वाले मंजिली गाड़ी के अलावा ऐसी प्रत्येक मंजिली गाड़ी के प्रवेश और निकास के दरवाजे लगाये जायेंगे ताकि यात्रियों को बाहर गिर जाने से रोका जा सके।

7.20. पकड़ने का हथ्था.— मौटर-कैब से भिन्न अन्य प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में, आपातकालीन बहिःद्वार पर, सिवाय आपातकालीन बहिःद्वार के, यात्रियों को यान में चढ़ने या उतरने में सहायता देने के लिये पकड़ने के हथ्थे लगाये जायेंगे।

7.21. सीढ़ियां.— (क) मौटर-कैब से भिन्न अन्य प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में, आपातकालीन बहिःद्वार के अलावा प्रत्येक प्रवेश द्वार या बहिःद्वार के लिये सबसे नीचे सीढ़ी के कदम का ऊपरी हिस्सा, जब यान खाली हो, धरती से ऊपर <sup>2</sup>[400 मिलीमीटर] से अधिक या 250 मिलीमीटर से कम नहीं होगा। स्थायी सीढ़ियां 230 मिलीमीटर से कम चौड़ी नहीं होंगी और किसी भी दशा में यान की बॉडी के बाहर सीधी निकली हुई नहीं होगी, जब तक कि वे इस प्रकार से बाहर निकली हुई नहीं होगी कि वे पैदल चलने वालों को चोट पहुंचाने वाली हों।

(ख) दो मंजिले यानों में सीढ़ियां—किसी दो मंजिले यान की दशा में—

- (i) सभी सीढ़ियों को नीचे से ऊपर की मंजिल तक उठाने वाले उपकरण बन्द होंगे और टॉप लेण्डिंग बोर्ड पर कोई असुरक्षित एपर्चर नहीं होगा;
- (ii) नीचे से ऊपर की मंजिल को जाने वाली सभी सीढ़ियों पर न फिसलने वाले पायदान लगे होंगे;
- (iii) ऊपर की सीढ़ी के रेजर के निकटतम बिन्दु से उस खड़ी रेखा तक, जो सीढ़ियों के ऊपर के पायदान के विपरीत सीट के निकटतम बिन्दु पर गुजरती है, ऐसे हथ्थे को छोड़ते हुए जो सीट के पीछे से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक निकला हुआ नहीं है, की दूरी 660 मि.मी. से कम नहीं होगी, और
- (iv) बाहर की सीढ़ियों का बाहरी ढांचा इस प्रकार निर्मित किया जायेगा या मोड़ इस प्रकार रखा जायेगा कि उतरने चढ़ने वाले व्यक्ति के लिये रक्षक का कार्य करे और बाहरी पकड़ने की छड़ें प्रत्येक सीढ़ी के पायदान के सामने से 990 मिलीमीटर से कम नहीं होंगी।

(ग) छूट— अप्रैल 1951 से पहले के रजिस्ट्रीकृत यान पर उप-नियम (क) और (ख) लागू नहीं होंगे।

7.22. गद्दियां.— सार्वजनिक सेवा यान की सीटों पर फोम या कोमल गद्दियां स्थिर किये जाने या हटाने योग्य लगायी जायेंगी और गद्दियों को अच्छी गुणवत्ता के लेदर क्लाथ या अन्य उपयुक्त सामग्री से ढका जायेगा, ताकि वे साफ सुथरी दशा में रखी जा सकें।

1. जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 26.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 27.7.1993)
2. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 4.12.2003)

**7.23. (A) Head room.**— (1) Every public service vehicle other than a motor cab shall have the internal height or head room, of every single-decked public service vehicle with a permanent top, other than a motor cab, shall be measured along the centre of the vehicle from the top of the floor boards or battens to the underside of the roof supports and shall be not less than 138 centimeters, and not more than 185 centimeters:

Provided that the State Transport Authority may specify the measurements, within the above limits, to which public service vehicles or particular type of public service vehicle, shall confirm, either generally or in specific areas.

(2) This rule shall not apply to a vehicle registered before the April, 1951.

**(B) Body dimension guard rails.**— Every public service vehicle other than a motor cab shall be so constructed that:—

(i) in the case of a single-decked vehicle with an enclosed body—

(1) the height of the body sides from the floor or the height to the sills of the windows, as the case may be, shall not be less than 7.15 millimeters, and;

(2) if the bottom of any window or other opening is less than 45 centimeters above the seats, provisions shall be made by means of guard rails or otherwise to prevent passengers parting their arms out;

(ii) in the case of a single-decked vehicle with open sides, guard rails shall be provided along the right hand side of the vehicle to prevent any person other than the driver from mounting or alighting from the vehicle on that side; and

(iii) in the case of a double-decked vehicle with an uncovered top-deck the top-deck shall be provided with side and end rails, the top of which shall be at least 915 millimeters above the deck boards or battens at the side and 460 millimeters above the highest part of any seat and the top of the front and back rails shall be at least 990 millimeters above the deck boards and battens and shall follow the chamber of the deck.

(C) Sub-rule (b) shall not apply to a vehicle registered before the 1st day of April, 1951.

(D) For the purpose of sub-rule (b), the seat back shall not be deemed to be a part of the seat.

**7.24. Protection of passengers from weather.**— (a) Every public service vehicle other than a motor cab shall be constructed with a fixed and watertight roof and every motor cab shall be either constructed with a fixed and watertight roof or equipped with a water-tight hood that may be raised.

(b) Every public service vehicle shall have suitable windows, ventilation or screens capable at all times of protecting the passenger from the weather without preventing adequate ventilation of the vehicle. When the screens are made of fabric, they should be capable of being fastened securely to the vehicle.

(c) Luggage carried on the outside of a stage carriage shall be protected in wet weather by a suitable water-proof covering shall be securely fastened so as to prevent flapping.

7.23. (क) हेड-रूम.— (1) मौटर-कैब से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में भीतरी ऊंचाई मौटर कैब से भिन्न, प्रत्येक एक मंजिले सार्वजनिक सेवायान में, स्थायी शिखर के साथ हेड-रूम का, जो यान केन्द्र के साथ आंगन बोर्ड या बैटन से छत के सहारों के नीचे की तरफ तक मापा जायेगा 138 सेन्टीमीटर से कम और 185 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं होगा:

परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकरण, उपर्युक्त सीमाओं के भीतर, ऐसे माप विनिर्दिष्ट कर सकेगा, उनके अनुरूप, सार्वजनिक सेवा यान या विशेष प्रकार के सार्वजनिक सेवायान, या तो साधारणतः या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, होंगे।

(2) यह नियम अप्रैल, 1951 के पहले रजिस्ट्रीकृत यान को लागू नहीं होगा।

(ख) बॉडी की माप-रक्षक छड़ें— मौटर-कैब से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि—

(i) घिरी हुई बॉडी के साथ एक मंजिले यान के मामले में—

- (1) आंगन से बॉडी की साइडों (बाजुओं) तक की ऊंचाई या खिड़कियों के नीचे के पटरों तक की ऊंचाई, यथास्थिति, 7.15 मिलीमीटर से कम नहीं होगी; और
- (2) यदि किसी खिड़की का पैदा या अन्य खुला स्थान सीटों से ऊपर 45 सेन्टीमीटर से कम हो, तो रक्षक छड़ों के द्वारा या अन्यथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि यात्रियों को उनकी भुजायें बाहर रखने से रोका जा सके;

(ii) खुली साइडों वाले किसी मंजिले यान के मामले में, यान के दायें हाथ की साइड के साथ रक्षक छड़ों की व्यवस्था, चालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस ओर से यान पर चढ़ने या उतरने से रोकने के लिये की जायेगी; और

(ii) बिना ढके टॉप-डेक के साथ दो मंजिले यान के मामले में, टॉप-डेक पर साइड में और अन्त में छड़ों की व्यवस्था की जायेगी, जिसका टॉप साइड पर डेक बोर्ड या बैटनों के ऊपर कम से कम 915 मिलीमीटर होगा और किसी सीट के सबसे ऊंचे भाग के ऊपर 460 मिलीमीटर होगा और सामने का और पीछे की छड़ों का टॉप-डेक बोर्ड और बैटनों से कम से कम 990 मिलीमीटर होगा और डेक के चैम्बर के साथ-साथ होगा।

(ग) उप-नियम (ख) 1 अप्रैल, 1951 से पहले रजिस्ट्रीकृत यान को लागू नहीं होगा।

(घ) उप-नियम (ख) के प्रयोजनार्थ, सीट की पीठ को सीट का भाग नहीं समझा जायेगा।

7.24. यात्रियों का मौसम से बचाव.— (क) मौटर-कैब से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान स्थिर और जल अवरोधक छत सहित निर्मित किया जायेगा और प्रत्येक मौटर-कैब या तो स्थिर और जल अवरोधक छत सहित निर्मित किया जायेगा या जल अवरोधक हुड से सज्जित किया जायेगा जिसे ऊंचा उठाया जा सके।

(ख) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में उपर्युक्त खिड़कियां, उजालदान या पर्दे होंगे, जो सदा यात्रियों को यान में पर्याप्त हवा की व्यवस्था रोके बिना मौसम से बचायेंगे। जब पर्दे किसी फेब्रिक के बने हों, तो वे यान से मजबूती से बांधे जाने योग्य होने चाहियें।

(ग) मंजिली गाड़ी के बाहर की ओर ले जाये जा रहे सामान को गीले मौसम में किसी उपर्युक्त जल अवरोध आवरण से सुरक्षित किया जायेगा। आवरण को फड़फड़ाने से बचाने के लिये मजबूती से बांधा जायेगा।



**7.25. Internal Light.**— Every public service vehicle, other than a motor cab, shall be furnished with one or more electric lights adequate to give reasonable illumination throughout the passenger's compartment or compartments, but of such power or so screened, as not to impair the forward vision of the driver.

**[7.26. Body construction.**— The body of every Public Service Vehicle shall be soundly constructed to the satisfaction of the Regional Transport Authority and shall be painted as per the direction if any of the Regional Transport Authority. The body shall be securely fastened to the frame of the vehicle.]

**7.27. Fuel tanks.**— (1) No fuel tank shall be placed in any public service vehicle within sixty centimeters of any entrance or exit of a single decked vehicle or lower deck of a double-decked vehicle.

(2) The fuel tank of every public service vehicle shall be so placed that no overflow therefrom shall fall upon any woodwork or accumulate where it can be readily ignited. The "off" position of the means of operation shall be clearly marked on the outside of the vehicle. The filling points of all fuel tanks shall be outside the body of the vehicle and the filling caps shall be so designed and constructed that they can be securely fixed in position.

**7.28. Carburetors.**— In every public service vehicle any carburetor and appears associate there with shall be so placed and shielded that no fuel leaking therefrom shall fall upon any part or fitting that is capable of igniting it or into any receptacle where it might accumulate.

**7.29. Exhaust Pipe.**— The exhaust pipe of every public service vehicle shall be so fitted or shielded that no inflammable material can be thrown upon it from any other part of the vehicle and that it is not likely to cause a fire through proximity to any inflammable material on the vehicle; the outlet thereof shall be placed far enough to the rear to prevent, so far as practicably fumes from entering the vehicle.

**7.30. Electric Wires.**— All electric wires or leads shall be adequately insulated.

**7.31. Fire extinguisher.**— (1) With the previous sanction of the Government, the State Transport Authority may as a condition precedent to the grant of permits, require all public service vehicles in any specified area to be equipped with a fire extinguishing apparatus of a type specified by it and may require that such fire extinguishing apparatus shall be inspected at such periods and by such persons, as it may specify.

(2) With the previous sanction of the State Transport Authority, or Regional Transport Authority may as a condition precedent to the grant of a permit, require any public service vehicle or any class of public service vehicles to be equipped with a fire extinguishing apparatus of a type specified by it and may require that such fire extinguishing apparatus shall be inspected at such period and by such persons, as it may specify.

---

1. Subs. by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1993). (w.e.f. 27.7.1993).

**7.25. भीतरी बत्तियां.—** मोटर-कैब से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान को एक या अधिक विद्युत बत्तियों से सज्जित किया जायेगा, जो यात्रियों के भाग या भागों में सब जगह उचित प्रकाश देने के लिये पर्याप्त हों, परन्तु वे ऐसी शक्ति की या इस प्रकार ढकी हुई होंगी कि चालक की सामने की दृष्टि में कोई कमी न करे।

**7.26. बॉडी सन्निर्माण.—** प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान की बॉडी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में सन्निर्मित की जायेगी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार उस पर पेन्ट किया जायेगा। बॉडी को यान के ढांचे से सुरक्षित रूप से जोड़ा जायेगा।

**7.27. ईंधन की टंकियां.—** (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान में ईंधन (पेट्रोल या डीजल आदि) की टंकी एक मंजिले यान या दो मंजिले यान के निचले डेक के किसी प्रवेश द्वार या बहिर्द्वार से आठ सेन्टीमीटर के भीतर नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान की ईंधन टंकी इस प्रकार रखी जायेगी कि उसमें से अधिक भरा ईंधन किसी लकड़ी के काम पर न गिरे या इकट्ठा न हो, जहां वह शीघ्रता से जल उठे। प्रचालन के साधन की "बन्द" की स्थिति यान के बाहर स्पष्ट रूप से अंकित होगी। सभी ईंधन की टंकियों के भरने के बिन्दु यान की बॉडी के बाहर निकले होंगे और उनके ढक्कन इस प्रकार डिजाइन और निर्मित किये जायेंगे कि उनको मजबूती से सही स्थिति में स्थिर किया जा सके।

**7.28. कार्बरेटर्स.—** प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में कोई कार्बरेटर और अपीयर्स जो उससे सम्बद्ध है इस प्रकार रखा और सुरक्षित किया जायेगा कि कोई ईंधन उसमें से किसी भाग का फिटिंग पर रिस कर नहीं गिरे, जो आग लगाने के लिये समर्थ हो या ऐसे स्थान में नहीं गिरे, जहां यह एकत्रित हो सके।

**7.29. एक्जास्ट पाइप.—** प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान की एक्जास्ट पाइप इस प्रकार स्थिर या सुरक्षित की जायेगी कि यान के किसी दूसरे भाग से उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं फेंका जा सके और यान पर के किसी ज्वलनशील पदार्थ की निकटता के कारण आग कारित करने की सम्भावना न हो, उसका बाहरी मुख पीठ से काफी दूर होगा, ताकि जहां तक व्यवहार्य हो, लपटों को यान में घुसने से रोक सके।

**7.30. बिजली के तार.—** सब बिजली के तार या लीड्स पर्याप्त रूप से निरोधक होंगे।

**7.31. आग बुझाने के यन्त्र.—** (1) सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट की स्वीकृति की पूर्व शर्त के रूप में, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सब सार्वजनिक सेवा यानों को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार के आग बुझाने के उपकरण से सज्जित करने की अपेक्षा कर सकेगा और यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे आग बुझाने के उपकरण का ऐसी अवधि पर और ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो वह विनिर्दिष्ट करे, निरीक्षण किया जायेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट की स्वीकृति की एक पूर्व शर्त के रूप में, किसी सार्वजनिक सेवा यान या सार्वजनिक सेवा यान की किसी श्रेणी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार के आग बुझाने के उपकरण से सज्जित करने की अपेक्षा कर सकेगा और यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे आग बुझाने के उपकरण का ऐसी अवधि पर और ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो वह विनिर्दिष्ट करे, निरीक्षण किया जायेगा।

1. जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 26.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 27.7.1993).

**7.32. Locking of nuts.**— All moving parts of every public service vehicle and all parts subjected to severe vibration connected by bolts or studs and nuts shall be fastened by some efficient device so as to prevent them working or becoming loose.

**7.33. Floor board.**— (1) The floor boards of every public service vehicle shall be so fitted as to exclude as far as possible draughts and dust.

(2) The floor boards shall not be pierced save for the purpose of drainage and the hole so made shall be covered by a metallic cover hinged at one end.

**7.34. Spare wheel and tools.**— Save as otherwise specified, by the Regional Transport Authority in respect of municipal or cantonment areas, every public service vehicle shall, at all times be equipped with not less than one spare wheel or rim, fitted with a pneumatic tyre in good and sound condition ready and inflated, and mounted in such a way that it can be readily dismounted and fitted to the vehicle, in the place of any one of the road wheels.

(2) Sub-rule (1) shall not apply to a public service vehicle, during the completion of any journey during which it has been necessary to bring to spare wheel or rim and tyre into use.

(3) Every public service vehicle shall at all times be furnished with an efficient jack and other tools necessary to change a wheel or rim and tyre and with the equipment necessary to repair a puncture.

(4) Every public service vehicle shall, at all time be furnished with one screwdriver and at least with one spare fuse, one side-light bulb and one head-light bulb and when such vehicle is fitted with sealed beam head-light with one spare sealed beam unit and a fan belt, one inspection lamp with 10 meters long wire:

Provided that, the State Government may by general or special order, exempt for such period as may be specified the rein any public service vehicle or class of such vehicles in respect of any area, if it is satisfied that adequate arrangements exists for expeditious and efficient emergency repairs in such area.

**7.35. Inspection of Motor Vehicle.**— (1) Notwithstanding anything contained in rule, if the Registering Authority has reason to believe that owing to the mechanical defects, any vehicle, is in such condition that its use in a public place constitutes a danger to the public, or that it is fails, to comply with the requirements of Chapter VII of the Act or the rules made thereunder, it may cause such vehicle to be inspected by an Inspector of Motor Vehicles and after giving the owner an opportunity of making any representation as required under sub - section (1) of section 53, suspend the certificate of registration of the vehicle under the said section till such time as the vehicle is produced for inspection duly repaired.

(2) (a) On inspection if the Inspector of Motor Vehicles is satisfied that such vehicle is in a mechanically defective condition he shall issue to the owner a memorandum in Form R.S. 4.8 using such items thereof as are applicable to non-transport vehicle, and submit a copy thereof to the Registering Authority ;

**7.32. नटों को ताला लगाना.**— प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान के सभी चलने वाले पुर्जों को और अत्यधिक कंपन वाले सभी पुर्जों को, जो बोल्टों से या स्टड और नटों से जुड़े हुए हैं, किसी दक्ष युक्ति से बांधा जायेगा, जो उतकी काम में आने पर ढीले होने से बचा सके।

**7.33. आंगन बोर्ड.**— (1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान का आंगन-बोर्ड इस प्रकार लगाया जायेगा कि जहां तक सम्भव हो, वह हवा के झोंकों और धूल को निवारित करे।

(2) आंगन बोर्ड में, पानी के निकास के प्रयोजन को छोड़कर, कोई छेद नहीं निकाले जायेंगे और इस प्रकार बनाये छेद को एक ओर लटकने वाले धातुओं के आवरण से ढका जावेगा।

**7.34. अतिरिक्त पहिया और औजार.**— (1) नगरपालिका या छावनी क्षेत्रों के बारे में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर, प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान कम से कम एक अतिरिक्त पहिये या रिम, अच्छी और ठीक हालत में हवादार टायर के साथ सदा सज्जित रहेगा और इस प्रकार चढ़ाया हुआ रहेगा कि उसे तुरन्त उतारा जा सके और यान के सड़क पहियों में से किसी एक के स्थान पर लगाया जा सके।

(2) उप-नियम (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान को किसी यात्रा को पूरा करने के दौरान, जिसमें अतिरिक्त पहिया या रिम टायर को काम में लेना आवश्यक है, लागू नहीं होगा।

(3) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में एक दक्ष जैक और पहिये या रिम और टायर को बदलने के लिये आवश्यक अन्य औजार और पंचर की मरम्मत के लिये आवश्यक सामान हर समय रखा जायेगा।

(4) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में एक स्कू ड्राइवर और कम से कम एक अतिरिक्त फ्यूज, एक साइड लाइट का बल्ब, एक हेड लाइट का बल्ब और जब ऐसा यान सील्ड बीम हेड लाइट से सज्जित हो, तो एक अतिरिक्त सील्ड बीम यूनिट, एक फैन बेल्ट, एक निरीक्षण-लैम्प, 10 मीटर लम्बे तार के साथ सदा रखे जायेंगे:

परन्तु राज्य सरकार, किसी सार्वजनिक यान को या ऐसे यानों की किसी श्रेणी को किसी क्षेत्र के बारे में, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसे क्षेत्र में शीर्घ और दक्ष आपातकालीन मरम्मत की पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है, किसी सामान्य या विशेष आदेश में ऐसी अवधि के लिये, जो उसमें दी गई है, मुक्त कर सकेगी।

**7.35. मोटर यानों का निरीक्षण.**— (1) नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि मशीनरी के दोषों के कारण कोई यान ऐसी दशा में है कि सार्वजनिक स्थान पर उसका उपयोग जनता के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है या अधिनियम के अध्याय 7 या उसके अधीन बने नियमों की अध्यपेक्षाओं का पालन करने में वह असफल है; तो वह ऐसे यान का निरीक्षण मोटर यान निरीक्षक से करवा सकेगा और उसके स्वामी को अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन वांछित कोई अभ्यावेदन करने का एक अवसर देने के बाद उक्त धारा के अधीन ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र को ऐसे समय तक निलम्बित कर सकेगा, जब तक वह यान को सही मरम्मत के बाद निरीक्षण के लिये प्रस्तुत नहीं करता है।

(2) (क) निरीक्षण करने पर, यदि मोटर यान के निरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा यान मैकेनिकल रूप में दोष पूर्ण दशा में है, तो वह स्वामी को प्ररूप आर.एस. 4.8 में से ऐसी मदों का प्रयोग करते हुए जो अपरिवहन यानों को लागू है, एक झाप जारी करेगा और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(b) If on receipt of a copy of such memorandum, the Registering Authority has reason to believe that owing to the mechanical defects, the vehicle is in such condition that its use in a public place constitutes a danger to the public, or that it fails to comply with the requirements of Chapter VII of the Act or of the rules made thereunder, he may, after giving the owner an opportunity of making any representation as required under sub-section(1) of section 53 of the Act, suspend the certificate of registration of the vehicle under the said section till such time as the vehicle is produced for re-inspection duly repaired.

(3) The Registering Authority shall record below the certificate of registration of the vehicle, the date of every inspection and whether it was found in mechanically fit or defective condition.

(4) A fee for every such inspection shall be fifty rupees and it shall accompany the application referred to in sub-rule.

**7.36. Clearance.**— All the under parts of the vehicle inside the pivots of the front axle and steering arms which must be placed as near as possible to road wheel as far back as least as the rear axle, shall be, above the ground, by not less than 254 mm, when the vehicle is fully loaded.

(A) Sufficient allowance shall, in addition be made, to provide for the wear of the tyres, settling down of the springs, or other causes likely to reduce height, so that the minimum clearance of 254 millimeters is at all times maintained.

**7.37. Springs.**— (1) Chassis springs shall be properly hung and must be of sufficient strength and flexibility to meet all likely contingencies.

(2) The rear springs shall be attached to or bear upon the back axle casing as near to the road wheels as possible and the distance between the springs (the distance between the springs from inside to outside) shall not be less than 50 percent of the overall width of the vehicle.

(3) The front springs shall be as wide-apart as possible and the difference between them shall not be less than 37 percent of the overall width of the vehicle; provided that if the width of the rear springs is 53 per cent of the overall width of the vehicle, or more, the minimum distance between the front springs may be by (2.54 centimeters) less than the required by this sub-rule.

(4) There shall be no cross springs.

**7.38. Wheel Track.**— The wheel tracks of both front and rear wheel shall coincide and the distance between the centre lines of the tracks of the front wheels shall not be less than 69 percent of the overall width of the vehicle.

**7.39. Ventilation.**— Every state carriage shall be provided with adequate means of ventilation so that there shall be proper ventilation even when the windows, if any, are not opened. If the carriage is provided with opening windows, suitable provision shall be made so that opening of the window could be adjusted.

**7.40. Prohibition of Painting or Marking in certain manner.**— (1) No advertising device, figure or writing shall be exhibited in any public service vehicle save as may be specified by the Regional Transport Authority by general or specific order.

(ख) यदि ऐसे ज्ञाप की प्रति की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मशीनरी की खराबी के कारण कोई यान ऐसी दशा में है कि सार्वजनिक स्थान पर उसका उपयोग जनता के लिये खतरा है या अधिनियम के अध्याय 7 या उसके अधीन बने नियमों की शर्तों का पालन करने में वह असफल है, तो वह स्वामी को अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन वांछित कोई अभ्यावेदन करने का एक अवसर देने के बाद उक्त धारा के अधीन ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र को ऐसे समय तक निलम्बित कर सकेगा, जब तक वह यान को ठीक मरम्मत के बाद पुनर्निरीक्षण के लिये प्रस्तुत नहीं करता है।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र के नीचे प्रत्येक निरीक्षण की दिनांक और क्या वह मैकेनिकल रूप में उपयुक्त या खराब दशा में पाया गया, अभिलिखित करेगा।

(4) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के लिये फीस पचास रुपये होगी और उप-नियम में वर्णित आवेदन के साथ दी जायेगी।

**7.36. क्लियरेन्स.—** यान के नीचे के समस्त भाग जो सामने की धुरी के पिवट के भीतर हैं और स्टियरिंग आर्म्स जिनको पहिये के इतना नजदीक रखना होगा जितना सम्भव है और इतना पीछे दूर रखना होगा जितना पिछली धुरी है, धरातल से ऊपर, 254 मिलीमीटर से कम नहीं रखना होगा, जब यान पूरी तरह से लदा हुआ हो।

इसके साथ टायरों के घिसने, स्प्रिंग्स के जम जाने या अन्य कारणों से ऊंचाई के कम हो जाने की सम्भावना के लिये पर्याप्त छूट दी जायेगी, ताकि 254 मिलीमीटर की न्यूनतम क्लियरेन्स को सदा बनाये रखा जा सके।

**7.37. स्प्रिंग्स.—** (1) चेसिस कमानियां सही रूप से लटकाई जायेगी और सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने की सम्भावना को पूरा करने के लिये पर्याप्त शक्ति और लचीलेपन की होंगी।

(2) पिछली कमानियां पिछली धुरी की केसिंग पर सड़क के पहियों के इतनी नजदीक जितनी सम्भव हो, जुड़ी होंगी और कमानियों के बीच की दूरी यान की सकल चौड़ाई के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(3) सामने की कमानियां जितनी चौड़ी सम्भव हो सके उतनी होंगी और उनके बीच का अन्तर यान की सकल चौड़ाई के 37 प्रतिशत से कम नहीं होगा, परन्तु यदि पिछली कमानियों की चौड़ाई उस यान की सकल चौड़ाई की 53 प्रतिशत है, या अधिक है, तो सामने की कमानियों के बीच की कम से कम दूरी इस नियम द्वारा चाही गई दूरी से 2.54 सेन्टीमीटर कम हो सकेगी।

(4) कोई क्रॉस स्प्रिंग्स नहीं होंगी।

**7.38. व्हील ट्रैक.—** सामने और पीछे के पहियों का व्हील ट्रैक एक समान होगा और सामने के पहियों के ट्रैक्स की केन्द्रीय रेखाओं के बीच की दूरी यान की सकल चौड़ाई के 69 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

**7.39. वायु का आवागमन.—** प्रत्येक मंजिली गाड़ी में वायु के आवागमन के लिये यथोचित साधनों की व्यवस्था होगी, ताकि जब खिड़कियों को, यदि कोई हों, नहीं खोला जाये तो भी वायु का उचित आवागमन हो सके। यदि गाड़ी में खुलने वाली खिड़कियां दी गई हैं, तो उसमें उचित व्यवस्था की जायेगी ताकि खिड़कियों के किवाड़ों को समायोजित किया जा सके।

**7.40. कुछ तरीके से रंग करने या चिन्ह लगाने का प्रतिषेध.—** (1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने के अलावा, कोई विज्ञापन युक्ति, अंक या लेखन किसी सार्वजनिक सेवायान पर प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।

(2) A public service vehicle when regularly used for carrying Government Mail by, or under a contract with, the Indian Posts and Telegraphs Department and exhibit in a conspicuous place upon plate or a plain surface of the Motor Vehicle and word "Mail" in red colour on a white ground, each letter being not less than fifteen centimeter in height and of a uniform thickness of three quarters of .2.54. cms.

(3) save as provided in sub-rule (2) no motor vehicle shall display any sign or inscription which includes the word 'Mail'.

(4) The Rajasthan State Roadways Vehicle shall have the following colour scheme:

- (a) Larch green from outside.
- (b) Cream colour strip.
- (c) Cream colour front-show.
- (d) Cream colour inside roofing upto windows.
- (e) Grey colour below windows.
- (f) Top of the roof to be of aluminium colour.

<sup>1</sup>[(4A) Taxi cars plying exclusively within municipal or city limits shall have the following colours:

Lower part of the body below wind screen glass "Black" and upper part of the body including roof- "Yellow".]

(5) Save as provided in sub-rule (4) <sup>2</sup>[and sub-rule (4A)] no other Motor Vehicle shall have and include the above colour scheme.

### SPECIAL RULES FOR GOODS VEHICLES

**7.41. Body and loading platform of goods vehicle.**— Every goods vehicle including a trailer shall, be equipped with a strong platform or body so constructed as to be capable of carrying the load for which it is used without danger to other road users and such that the load can be securely packed within or fastened to the body or platform.

**7.42. Chocks.**— (1) In order to prevent a goods vehicle from running backward on slopes, or otherwise to render it immobile, every such vehicle, not being a light motor vehicle, shall be equipped with two wedge-shaped rigid chocks, each measuring 30 centimeters in length 30 centimeters in breadth and 254 centimeters in height, with one of its sides having a slope making an angle of 45 degrees at the end. The plane surface of the sloped side of each chock shall be rendered concave so as to fit the outer circumstance of the tyres normally fitted to the rear wheel of the vehicles.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) where such vehicle is fitted with single rear wheel, the breadth of each such chock may be less than (30 centimeters) but not less than 15 centimeters.

1. Ins. by G.S.R. 14, dated 17.5.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 17.5.1995).  
2. Subs. by Ibid.

(2) कोई सार्वजनिक सेवायान जो सरकारी डाक को भारतीय डाक तथा तार विभाग के साथ संविदा के द्वारा या उसके अधीन नियमित रूप से वहन करने के लिये उपयोग में लाया जाता है, तो उस मोटर यान के दिखाई देने वाले किसी स्थान के सपाट धरातल पर या एक प्लेट पर शब्द "डाक" लाल रंग के अक्षरों में पृष्ठभूमि पर प्रदर्शित होगा, प्रत्येक अक्षर ऊँचाई से पन्द्रह सेन्टीमीटर से कम न होगा और समान चौड़ाई में 2.54 से.मी. का तीन-चौथाई होगा।

(3) उप-नियम (2) में यथा उपबंधित को छोड़कर कोई मोटर यान कोई संकेत या वर्णन प्रदर्शित नहीं करेगा, जिसमें शब्द "डाक" सम्मिलित है।

(4) राजस्थान राज्य रोडवेज के यानों की निम्नलिखित रंग योजना होगी:

- (क) बाहर से गहरी हरी।
- (ख) क्रीम रंग की धारी।
- (ग) क्रीम रंग का सामने का दृश्य।
- (घ) खिड़कियों तक भीतरी छत का क्रीम रंग।
- (ङ) खिड़कियों के नीचे ग्रे रंग।
- (च) छत का शिखर एल्युमीनियम के रंग का।

[(4क) अनन्यतः नगरपालिका या शहरी सीमाओं में चलने वाली टैक्सी कारों के निम्नलिखित रंग होंगे:

विण्ड स्क्रीन ग्लास के नीचे बॉडी का निचला भाग "काला" और छत को सम्मिलित करते हुए बॉडी का ऊपरी भाग "पीला" ]।

(5) उप-नियम (4) और [उप-नियम (4क)] में यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई अन्य मोटर यान उपरोक्त रंग योजना न तो रखेगा और न सम्मिलित करेगा।

### मालयानों के विशेष नियम

**7.41. मालयान की बॉडी और लदान-स्थान.**— प्रत्येक माल यान, जिसमें ट्रेलर सम्मिलित है, किसी मजबूत प्लेटफार्म या बॉडी से सज्जित होगा जो इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि अन्य सड़क का उपयोग करने वालों को किसी खतरे के बिना लदान को ले जाने के लिये सक्षम हो, जिसके लिये वह काम में लाया जाता है और ऐसा लदान उस बॉडी या प्लेटफार्म के भीतर मजबूती से पैक किया या बांधा जा सके।

**7.42. चोक.**— (1) किसी मालयान को ढलानों पर पीछे लुढ़क जाने से रोकने के लिये या अन्यथा उसे स्थिर करने के लिये प्रत्येक ऐसा यान, जो हलका मोटर यान नहीं है, दो खूँटीनुमा आकार के कठोर चोकों से सज्जित होगा, जो प्रत्येक लम्बाई में 30 सेन्टीमीटर, चौड़ाई में 30 सेन्टीमीटर और ऊँचाई में 254 सेन्टीमीटर के होंगे, जिनकी साइडों में से एक पर अन्त में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए होगा। प्रत्येक चोक के ढालू साइड का सपाट धरातल थोड़ा गहरा बना दिया जायेगा ताकि यान के पिछले पहिये में साधारणतया लगाये गये टायरों को बाहरी परिस्थिति में फिट हो जाये।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसे यान में एकल पिछला पहिया लगा हुआ है, तो ऐसे प्रत्येक चोक की चौड़ाई 30 सेन्टीमीटर से कम हो सकेगी, परन्तु 15 से.मी. से कम नहीं होगी।

1. जी.एस.आर. 14, दिनांक 17.5.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 17.5.1995 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

2. उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।



(3) Each such chock shall have a hook and be kept:-

- (a) in a bracket fitted on the outer skirt of the trail, board of the vehicle, or
- (b) where the vehicle have not tailboard, in a metal carrier fitted between the frame side, members, underneath the body nearest to the rear wheel or either side.

The tailboard of the vehicle and where the vehicle has not tailboard, the wooden planks above the frame side members shall also have a hook in the centre.

(4) Each such chock shall be linked with the tailboard or where the vehicle has not tailboard with the wooden planks above the frame side members, by means of metal chain or steel wire rope of sufficient length and strength, fastened to the hook in the chock and also to the hook in the tailboard or the wooden planks, as the case may be.

(5) No person shall use any boulder or any substance of a similar nature in lieu of wooden chocks on slopes or otherwise to prevent the goods vehicle other than light motor vehicle from running backward on sloped or to render it immobile otherwise.

(6) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may by notification in the official Gazette exempt from the provisions of this rule, any goods vehicle or class of such vehicles which in its opinion are not likely to slip backwards on slopes.

**7.43. Driver's seat.-** (1) The provisions of rule applicable to public service vehicles shall also apply to goods vehicle other than light motor vehicles provided with bucket type seats:

Provided that, where the State Government, having regard to the price and utility of any goods vehicle or class of goods vehicle, is satisfied that it is necessary so to do, the State Government, may by general or special order, exempt any goods vehicle or class of goods vehicle fitted with left hand steering control from the provisions of sub-rule (1) of rule.

(2) Where a Registering Authority registers a goods vehicle in respect of which, or belonging to a class in respect of which, an order under sub-rule (1) has been made, he shall note in the certificate of registration, the fact that nothing in rule in regards to and consequent upon the provisions requiring that the vehicle shall be driven from the right hand side shall apply to the vehicle.

**7.44. A seat of driver in goods vehicle covered under National Permit Scheme.-** In every public Carrier Vehicle covered under National Permit Scheme a seat behind the driver's seat shall be provided for the spare driver to sleep. The seat of the spare driver shall not be less than 6 feet long and 20 inches in width.

**7.45. Checking of designs of locally manufactured trailer.-** (1) An application for the approval of a new design of trailer manufactured in India and intended to be used as a transport vehicle shall be sent to the Transport Commissioner, in triplicate by the manufacturer or his authorised assembler in form R.S. 7.1. Such application shall be accompanied by three copies of each of the following in addition to other documents mentioned in the form of application:-

(3) प्रत्येक ऐसे चोक में एक हुक लगा होगा और उसे;

(क) यान के ट्रेल-बोर्ड के बाहरी घेर पर लगे ब्रैकेट में, या

(ख) जहां यान में टेल-बोर्ड नहीं है, तो फ्रेम की साइड के हिस्सों में बॉडी के नीचे पिछले पहिये के निकटतम या किसी साइड में लगे हुए धातु के कैरियर में, ले जाया जायेगा।

यान के टेल-बोर्ड में और जहां यान में टेल-बोर्ड नहीं है, तो फ्रेम की साइड के हिस्सों के ऊपर के लकड़ी के तख्तों में बीच में एक हुक लगा होगा।

(4) प्रत्येक ऐसा चोक टेल-बोर्ड से या जहां यान में टेल-बोर्ड नहीं है लकड़ी के तख्तों से धातु की जंजीर या स्टील के तार के रस्से से जाड़ा जायेगा, जो पर्याप्त लम्बाई और शक्ति का होगा और चोक के हुक से और टेल-बोर्ड या लकड़ी के तख्तों के हुक से, यथास्थिति, बन्धे होंगे।

(5) हलके मोटर यान से भिन्न मालयान को ढलान पर पीछे की ओर लुढ़क जाने से रोकने के लिये या अन्यथा उसे स्थिर बना देने के लिये कोई व्यक्ति किसी गोल हुए पत्थर या इसी प्रकार के किसी समान पदार्थ का उपयोग ढलान पर लकड़ी के चोक की बजाय नहीं करेगा।

(6) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियम के उपबन्धों से किसी मोटर यान या ऐसे यानों की श्रेणी को मुक्त कर सकेगी, यदि उसके अभिमत में ढलान पर पीछे की ओर उनके फिसलने की संभावना न हो।

**7.43. चालक सीट.**— (1) सार्वजनिक सेवा यानों को लागू नियम के उपबन्ध हलके मोटरयानों से भिन्न अन्य माल यानों पर भी लागू होंगे, जिनमें बकेट टाइप सीटों की व्यवस्था की गई है:

परन्तु जहां राज्य सरकार का, किसी मालयान या मालयानों की श्रेणी के मूल्य और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी मालयान या मालयानों की श्रेणी को जिसमें बायें हाथ का स्टियरिंग कन्ट्रोल लगा है, इस नियम के उप-नियम (1) के उपबन्धों से मुक्त कर सकेगी।

(2) जहां कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी माल यान को रजिस्ट्रीकृत करता है, जिसके बारे में या जो उस श्रेणी का है जिसके बारे में उप-नियम (1) के अधीन आदेश कर दिया गया है, तो वह रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र में यह तथ्य अंकित करेगा कि इस बारे में इस नियम की कोई भी बात और उसके परिणामस्वरूप ऐसे उपबन्ध जो चाहते हैं कि यान को दायीं ओर की साइड से ही चलाया जायेगा, उस यान को लागू नहीं होंगे।

**7.44. राष्ट्रीय परमिट योजना के अधीन आवृत मालयान के चालक की सीट.**— राष्ट्रीय परमिट योजना के अधीन आवृत प्रत्येक सार्वजनिक वाहक यानों में अतिरिक्त चालक के सोने के लिये चालक की सीट के पीछे एक सीट की व्यवस्था होगी। अतिरिक्त चालक की सीट 6 फीट लम्बी और 20 इंच चौड़ी से कम नहीं होगी।

**7.45. स्थानीय रूप से निर्मित ट्रेलर के डिजाइन की जांच पड़ताल.**— (1) भारत में निर्मित ट्रेलर और उसे परिवहन यान के रूप में काम में लेना चाहने पर उसकी नई डिजाइन के अनुमोदन के लिये आवेदन परिवहन आयुक्त को प्ररूप आर.एस. 7.1 में, तीन प्रतियों में, निर्माता या उसके प्राधिकृत संयोजक के द्वारा भेजा जायेगा। ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित में से प्रत्येक की तीन प्रतियां उन दस्तावेजों के अतिरिक्त होंगी, जिनका आवेदन के प्ररूप में उल्लेख किया गया है—

- (i) Full specifications;
- (ii) Drawings giving all dimension and detail, and
- (iii) Set of design calculation of,—
  - (a) Axles,
  - (b) Springs,
  - (c) Long bearers,
  - (d) Cross bearers,
  - (e) Platform tank or anything that may be carried on the cross bearers,
  - (f) Town bar,
  - (g) Turn table of two axle trailers,
  - (h) Braking arrangements, and
  - (i) Any other item such as shock absorbers, if included.

(2) (a) The Transport Commissioner shall forward the application and the copies of documents to the any Institute Approved by Government (hereinafter referred to as the institute) having competence and technical capacity to check the design and the trailer, for verification and recommendation of the greatest laden and axle weights in respect of the trailer which are compatible with reasonable safety.

(b) The Institute shall then go through the design and calculations, and if the design is found satisfactory by it, certify that would be in its opinion, the greatest laden and axle weight if the trailer which are compatible with reasonable safety.

(c) In case, the design is not found satisfactory, the Institute shall advise the applicant to that effect, and recommend such changes in the design as may be required, to make the trailers suitable for the desired load.

(d) The institute may call upon the applicant to furnish details, if required. In such case, the applicant shall furnish fresh specification and drawings incorporating alterations, if any.

(e) When a design is found satisfactory, the Institute shall return two copies of the approved design, specifications and calculations with its recommendation as to the maximum laden and axle weights compatible with reasonable safety to the Transport Commissioner. The Transport Commissioner, may, then approve the design and call for as many as extra copies of the approved types of the design, specifications and calculations as may be required by him for sending them to different Registering Authorities for their record.

(3) The maximum fee which may be charged by the Institute for such checking of a design shall be (Rs. 500). The fee shall be paid by the applicant to the Principal and Secretary of the Institute direct on demand by him and shall not be refunded.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2) and (3) the approval of the design of a Trailer Manufactured in India by a Competent Authority in any other States in India shall be deemed to be an approval accorded under these rules:

- (i) सम्पूर्ण विनिर्दिष्टियां;
- (ii) पूरे माप और विवरण देते हुए ड्राइंग्स, और
- (iii) निम्नलिखित की डिजाइन संगणना का सैट:
  - (क) धुरियां,
  - (ख) कमनियां,
  - (ग) लम्बे बियरर,
  - (घ) क्रास बियरर,
  - (ङ) प्लेट फार्म, टंकी या अन्य कोई वस्तु जो क्रास बियरर पर ले जाई जाये,
  - (च) टाउन बार,
  - (छ) दो धुरी ट्रेलर की टर्न टेबल,
  - (ज) ब्रेक की व्यवस्था और
  - (झ) अन्य कोई आइटम, जैसे शॉक अब्सोर्बर, यदि सम्मिलित हों।

(2) (क) परिवहन आयुक्त आवेदन को और दस्तावेजों की प्रतियों को सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान को (जिसे आगे "संस्थान" कहा गया है), जो डिजाइन और ट्रेलर की जांच पड़ताल करने के लिये, सक्षमता और तकनीकी हैसियत का है, ट्रेलर के बारे में अधिकतम लदान और धुरी वजन के, जो कि उचित सुरक्षा के साथ संगत है, के सत्यापन और सिफारिश के लिये अग्रहित करेगा।

(ख) इसके बाद संस्थान डिजाइन और संगणना को देखेगा और यदि उसके द्वारा डिजाइन संतोषजनक पाई जाती है, तो प्रमाणित करेगा कि उसके अभिमत से ट्रेलर का अधिकतम लदान और धुरी वजन उचित सुरक्षा के साथ संगत है।

(ग) यदि डिजाइन संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो संस्थान आवेदक को इस बारे में राय देगा और ट्रेलर को वांछित लदान के लिये उपयुक्त बनाने के लिये डिजाइन में वांछित ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करेगा।

(घ) संस्थान आवेदक को विवरण देने के लिये, यदि आवश्यकता हो, बुला सकेगा। ऐसे मामले में, आवेदक नये माप और ड्राइंग्स उन परिवर्तनों को, यदि कोई हों, सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत कर सकेगा।

(ङ) जब कोई डिजाइन संतोषजनक पाई जाती है, तो संस्थान अनुमोदित डिजाइन, माप और संगणना की दो प्रतियां, अपनी इस बारे में सिफारिश के साथ कि अधिकतम लदान और धुरी वजन उचित सुरक्षा के साथ संगत है, परिवहन आयुक्त को वापस करेगा। तब परिवहन आयुक्त उस डिजाइन का अनुमोदन कर सकेगा और अनुमोदित प्रकार की डिजाइन, माप और संगणना की उतनी प्रतियां मांगेगा जितनी कि उसे विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को उनके अभिलेख के लिये भेजने के लिये आवश्यकता है।

(3) संस्थान द्वारा डिजाइन की ऐसी जांच पड़ताल के लिये प्रभारित की जा सकने वाली अधिकतम फीस रु. 500/- होगी। यह फीस आवेदक द्वारा संस्थान के प्राचार्य और सचिव को उसकी मांग पर सीधी संदत्त की जायेगी और यह वापस नहीं की जायेगी।

(4) उप-नियम (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, भारत में निर्मित किसी ट्रेलर की डिजाइन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के किन्हीं अन्य राज्यों में किया गया अनुमोदन इन नियमों के अन्तर्गत किया गया अनुमोदन समझा जायेगा:

Provided that, there is in force in that other State, a rule or rules confirming to or containing substantially the same provisions as in this rule.

### **SPECIAL RULES APPLICABLE TO TRAILERS**

**7.46. Provision as to trailers.**— No trailer other than the trailing half of an articulated vehicle shall be attached to a public service vehicle.

**7.47. Prohibition and restriction on use of trailers with motor cycle and invalid carriages.**— (1) A motor cycle with not more than two wheels with a side-car shall not draw a trailer.

(2) A motor cycle with not more than two wheels without a side car shall not draw a trailer unless the combination complies with the following requirements:—

- (i) the connection of the trailer to the motor cycle behind the apex of the rear tyre, of, or within, the wheel base;
- (ii) the trailer-motor cycle connection shall allow the motor cycle complete freedom of movement in the lateral plane. It shall rotate freely about the vertical axis preferably through 180 degrees;
- (iii) the motor cycle remains always in a vertical or in a lined place without the rider having to balance it.

**7.48. Prohibition of attachment of Trailer to certain vehicles.**— No motor vehicle which exceeds 8.4 metres in length not being a motor vehicle used for towing a disabled motor vehicle shall draw a trailer.

**7.49. Restriction on number of trailers to be drawn.**— (1) No tractor shall draw more than three trailers.

(2) No tractor shall draw on a public road:—

- (i) a trailer exceeding half metric ton in weight unladen and fitted with solid steel wheels less than 60 centimeters in diameters, and
- (ii) a discharrow without trolly wheels used as training implements behind a tractor.

(3) No other goods vehicle shall draw more than one trailer.

**7.50. Attendants on Trailer.**— (1) Where a trailer is or trailers are being drawn by a motor vehicle, there shall be carried in the trailer or trailers or on the drawing motor vehicle, as the case may be, the following persons, not being less than twenty years of age and competent to discharge their duties, that is to say:—

- (a) if the brakes of the trailer cannot be operated by the driver of the drawing motor vehicle or by some other person carried on that vehicle:
  - (i) one person on every trailer competent to apply the brakes; and
  - (ii) one person placed at or near the rear of the last trailer in train in such a position as to be able to have a clear view of the road in rear of the trailer to signal to the drivers of overtaking vehicles and to communicate with the driver drawing motor vehicles;

परन्तु यह तब जब कि उस अन्य राज्य में कोई ऐसा नियम या नियमावली हो, जो इस नियम के उपबन्धों के अनुरूप है या सारभूत रूप में इनके समान हो।

### ट्रेलर्स को लागू विशेष नियम

7.46. ट्रेलर्स सम्बन्धी उपबन्ध.— किसी आर्टिकुलेटेड यान के पीछे चलने वाले आधे भाग के अलावा अन्य कोई ट्रेलर सार्वजनिक सेवायान से सहबद्ध नहीं किया जायेगा।

7.47. मोटर साइकिल और अशक्त यात्री गाड़ी के साथ ट्रेलरों के उपयोग का प्रतिषेध और निर्बन्धन.— (1) मोटर साइकिल, जिसके दो से अधिक पहिए नहीं हैं और साइड कार भी जुड़ा है, किसी ट्रेलर को नहीं खेंचेगी।

(2) मोटर साइकिल, जिसके दो से अधिक पहिए नहीं हैं और साइड कार भी नहीं है, किसी ट्रेलर को नहीं खेंचेगी, जब तक कि ऐसा संयोजन निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:—

- (i) मोटर साइकिल से ट्रेलर का सम्बन्ध पिछले टायर के शीर्ष के पीछे पहिए के आधार के भीतर हो;
- (ii) ट्रेलर मोटर साइकिल का सम्बन्ध मोटर साइकिल को लेटरल प्लेन पर चलने की पूरी स्वतंत्रता देगा। यह वर्टिकल धुरी के आसपास अधिमानतः 180 डिग्री के माध्यम से हुए स्वतंत्रता पूर्वक चक्रित होगा;
- (iii) सवार द्वारा संतुलित किये बिना मोटर साइकिल हमेशा सीधी दशा में या सीधी लाइन के धरातल पर रहे।

7.48. कुछ यानों के साथ ट्रेलर को जोड़ने का प्रतिषेध.— कोई मोटर यान, जो लम्बाई में 8.4 मीटर से अधिक है और किसी खराब हुए मोटर यान को खेंचने के लिये उपयोग में लिया जाने वाला यान नहीं है, किसी ट्रेलर को नहीं खेंचेगा।

7.49. खेंचे जाने वाले ट्रेलरों की संख्या पर निर्बन्धन.— (1) कोई ट्रैक्टर तीन से अधिक ट्रेलरों को नहीं खेंचेगा।

(2) कोई ट्रैक्टर सार्वजनिक सड़क पर निम्नलिखित को नहीं खेंचेगा:—

- (i) कोई ट्रेलर जिसका बिना लदान के वजन आधे मीट्रिक टन से अधिक हो और जिसके ठोस स्टील के पहिए लगे हों जो 60 से.मी. से कम व्यास के हों, और
- (ii) बिना ट्रौली पहियों के डिस्क होरो को ट्रैक्टर के पीछे, जो प्रशिक्षण के यन्त्र के रूप में काम में आता है।

(3) कोई अन्य मालयान एक से अधिक ट्रेलर को नहीं खेंचेगा।

7.50. ट्रेलर पर परिचर.— (1) जहां कोई ट्रेलर किसी मोटर यान द्वारा खींचकर ले जाया या ले जाये जा रहे हों, तो ट्रेलर या ट्रेलरों या खींचने वाले मोटर यान, यथास्थिति, पर निम्नलिखित व्यक्तियों को ले जाया जायेगा, जो बीस वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे और कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होंगे, अर्थात्:

(क) यदि ट्रेलर के ब्रेक खेंचने वाले मोटर यान के चालक द्वारा या उस यान में चल रहे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा काम में नहीं लाये जा सकते हों तो:

- (i) प्रत्येक ट्रेलर पर एक व्यक्ति जो ब्रेक का प्रयोग कर सके, और
- (ii) एक व्यक्ति पिछले ट्रेलर की पीठ पर या पीठ के पास रखा जावेगा, जो ट्रेलरों के पीछे की सड़क को साफ देख सके और पीछे से आने वाले यानों के चालकों को संकेत दे सके और खेंचने वाले मोटर यान के ड्राइवर से सम्प्रेषण कर सके;

- (b) If the, brakes of the trailer can be operated by the driver of the motor vehicle or by some person carried on that vehicle, such other person in addition to the driver shall be carried on that vehicle and one person on the last trailer in train in accordance with the provisions of sub-clause (ii) of clause (a).
- (c) If the trailer is or trailers are being drawn by tractor the unladen weight of which exceeds 7,250 kilograms, notwithstanding that the brakes of the trailer or trailers can be operated by the driver or some other person on the tractor not less than one person on each trailer & not less than two persons on the last trailer in train one of whom shall be the person required by the provisions of sub-clause (ii) of clause (a).

(2) This rule shall not apply:-

- (a) to any trailer having not more than two wheels and not exceeding 771 kilograms in weight laden when used single and not in a train with other trailers;
- (b) to the trailing half of an articulated vehicle;
- (c) to any trailer used solely for carrying water for the purpose of the drawing vehicle when used singly and not in a train with other trailers;
- (d) to any agricultural or road-making or road-repairing or road-cleaning implement drawn by a motor vehicle; or
- (e) to any closed trailer specially constructed for any purpose and specifically exempted from any or all of the provisions of this rule by an order in writing made by the Registering Authority to the extent so exempted.

**7.51. Restriction on length of Train of Vehicle and Trailers.**— The sum total of the length of any vehicle and its attached trailer or trailers shall not exceed 23 metres.

**7.52. Distinguishing mark for Trailers.**— (1) No person shall drive, or suffer or cause to be driven, in any public place any motor vehicle to which a trailer is or trailers are attached unless there is exhibited on the back of the trailer or of the last in the Form R.S. 7.2 set out in the diagram in retro-reflective red colour and white back ground.

(2) The mark shall be kept clean and unobscured and shall be so fixed to the trailer that:-

- (i) the letter on the mark is vertical and easily distinguishable from the rear of the trailer;
- (ii) the mark is either on the centre or to the right hand side of the back of the trailer; and
- (iii) no part thereof is at a height exceeding one hundred and twenty centimetres from the ground.

(3) This rule shall not apply to the case referred to corresponding in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (2) of rule.

- (ख) यदि ट्रेलर के ब्रेक खेंचने वाले मोटर यान के चालक या उस यान में चल रहे किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित किये जा सकते हैं, तो चालक के अलावा ऐसा अन्य व्यक्ति उस यान में ले जाया जायेगा और कतार के अन्तिम ट्रेलर पर एक व्यक्ति खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के उपबन्धों के अनुसार ले जाया जायेगा।
- (ग) यदि ट्रेलर या ट्रेलरों को किसी ट्रैक्टर द्वारा खेंच कर ले जाया जा रहा है, जिसका लदान रहित वजन 7,250 किलोग्राम से अधिक है तो इस बात के होते हुए भी कि ट्रेलर या ट्रेलरों के ब्रेकों को चालक द्वारा या ट्रैक्टर या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया जा सकता है, प्रत्येक ट्रेलर पर एक व्यक्ति से कम नहीं और कतार के अन्तिम ट्रेलर पर दो व्यक्तियों से कम नहीं ले जाये जायेंगे, जिनमें से एक खण्ड (क) के उप-खण्ड(ii) के उपबन्धों द्वारा वांछित व्यक्ति होगा।

(2) यह नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा:—

- (क) किसी ऐसे ट्रेलर को, जिसके दो से अधिक पहिएं नहीं हैं और लदान के साथ वजन 771 किलोग्राम से अधिक नहीं है, जब उसे अकेले को काम से लिया जाये, न कि अन्य ट्रेलरों के साथ कतार में;
- (ख) किसी आर्टिकुलेटेड यान के पीछे चलने वाले आधे भाग को;
- (ग) किसी ऐसे ट्रेलर को, जो केवल खेंचने वाले यान के प्रयोजन के लिये पानी ले जाता है, जब अकेला काम में लिया जाये, न कि अन्य ट्रेलरों के साथ कतार में;
- (घ) किसी मोटर यान द्वारा खेंचकर ले जाये जाने वाले कृषि सम्बन्धी या सड़क बनाने या सड़क मरम्मत करने वाले या सड़क साफ करने वाले उपकरण को; या
- (ङ) किसी ऐसे बन्द ट्रेलर को, जो विशेष रूप से किसी प्रयोजन के लिये निर्मित है और विशेष रूप से इस नियम के किसी या सब उपबन्धों से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिखित में दिये आदेश द्वारा छूट प्राप्त है तो इस प्रकार की छूट की सीमा तक।

**7.51. यानों और ट्रेलरों की कतार की लम्बाई पर निर्बंधन.**— किसी यान और उसके सहबद्ध ट्रेलर या ट्रेलरों की कुल लम्बाई का योग 23 मीटर से अधिक नहीं होगा।

**7.52. ट्रेलरों पर सुभेदक चिन्ह.**— (1) कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान नहीं चलायेगा और चलवायेगा, जिसके कोई ट्रेलर सहबद्ध हों, जब तक कि वह प्ररूप आर.एस. 7.2 में दिये चित्र के अनुसार सुभेदक चिन्ह सफेद पृष्ठ भूमि पर रिट्रा-रिफ्लेक्टिव लाल रंग में ट्रेलर या अन्तिम ट्रेलर की पीठ पर प्रदर्शित नहीं करे।

(2) चिन्ह साफ और बिना रुकावट के रखा जायेगा और ट्रेलर पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि:—

- (i) चिन्ह पर अक्षर सीधा हो और ट्रेलर के पीछे से आसानी से सुभेदित किये जाने योग्य हो;
- (ii) चिन्ह या तो ट्रेलर की पीठ के बीच में या दायें हाथ की ओर हो; और
- (iii) उसका कोई भाग धरातल में एक सौ बीस सेन्टीमीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं हो।

(3) नियम 7.50 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) (ख) (ग) और (घ) में वर्णित मामलों को यह नियम लागू नहीं होगा।



**7.53. Special rules for heavy goods and passenger motor vehicles attendant.**— The driver of a heavy goods and passenger motor vehicle shall be accompanied by an attendant who shall be in a position to give warning of any traffic approaching from the rear and shall assist the driver by giving signal when the motor vehicle is being taken in reverse.

### **SPECIAL RULES APPLICABLE TO GAS PRODUCERS INSTALLED IN MOTOR VEHICLE**

**7.54. 'Producer' defined.**— In these rules, otherwise expressly stated 'producer' means the whole of the generator, pipes coolers, filters and accessories necessary for the generation of gas and its supply to the engine.

**7.55. Conditions of fitting producers to vehicles.**— On and after the coming in to force of these rules, no producers shall be fitted to a motor vehicle unless the producer—

- (a) has been made by a manufacturer approved in this behalf by the Government;
- (b) is of a type of model approved by, and in accordance with specifications approved by the Government for use on the type of vehicle concerned;
- (c) has affixed to the generator in such a manner as to be clearly visible, a metal plate having legibly displayed upon it the name of the manufacture, the manufacturer's serial number and the description, name mark or number assigned to it by Government under sub-rule (1) of rule 7.64.

**7.56. Approval how obtained.**— (1) Any person seeking the approval of the Government under rule 7.6 shall make application in writing accompanied by duplicate copies of the specification, of clear drawings or prints of the producer and of the instructions for working it, and shall state the type or model of the motor vehicle, and the size and horse power of the engine, for which, the producer is intended.

(2) if so required by the Government, a person who has made an application under sub-rule (1) shall:—

- (a) submit the producer to such test in such laboratory or work-shop and by such person as the Government may specify, and
- (b) furnish at his own expense a vehicle fitted with the producer for such test in the road (including a road journey of not less than 80 K.M. continuous) as the Government may specify.

**7.57. Procedure after approval.**— (1) When the Government approves of any type or model of producer, it shall inform the applicant in writing accordingly and shall intimate the description, name, mark or number under which it may be offered for sale.

(2) No person shall sale or offer for sale any producer which does not conform in every material respect to the specification approved by Government on the generator in accordance with clause (c) of rule 7.62.

(3) A manufacturer who proposes to modify or alter in any way, the design of specification of an approved type or model of producer shall, before offering the modified type or model for sale, make application to the Government with particulars of the modification or change proposed and shall obtain the approval of the Government thereto.

7.53. भारी माल और यात्री मोटर यानों के परिचर के लिये विशेष नियम.— भारी माल और यात्री मोटर यानों के चालक के साथ एक परिचर रहेगा, जो पीछे की ओर से आ रहे किसी यातायात के बारे में चेतावनी देने की स्थिति में होगा और जब मोटर यान को पीछे ले जाया जा रहा हो, तो वह चालक को संकेत देकर मदद करेगा।

### मोटर यान में स्थापित गैस-उत्पादकों पर लागू विशेष नियम

7.54. 'उत्पादक' परिभाषित.— इन नियमों में, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, 'उत्पादक' से जनरेटर, पाइप, कूलर, फिल्टर और गैस के उत्पादन के लिये और इंजिन को इसके प्रदाय के लिये आवश्यक सहायक सामग्री सम्पूर्ण रूप से अभिप्रेत है।

7.55. यानों में उत्पादकों को लगाने की शर्तें.— इन नियमों के प्रवृत्त होने पर या उसके पश्चात् कोई उत्पादक किसी मोटर यान में नहीं लगाये जायेंगे, जब तक कि उत्पादक—

- (क) सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित निर्माता द्वारा नहीं बनाया गया हो;
- (ख) उसके मॉडल का प्रकार, सम्बन्धित यान के प्रकार पर उपयोग के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार और अनुमोदित नहीं हो;
- (ग) जनरेटर से धातु की एक पट्टिका इस प्रकार लगी हो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो, जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का क्रमांक और विवरण, इसे सरकार द्वारा नियम 7.64 के उप-नियम (1) के अधीन समनुदेशित नाम चिन्ह या संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो।

7.56. अनुमोदन कैसे प्राप्त किया जाये.— (1) नियम 7.6 के अधीन सरकार का अनुमोदन चाहने वाला कोई व्यक्ति लिखित में आवेदन करेगा, जिसके साथ दो प्रतियों में विनिर्देश स्पष्ट रेखाचित्र या उत्पादक के प्रिन्ट और उसके उपयोग के लिये अनुदेश होंगे और वह मोटर यान के प्रकार या मॉडल और इंजिन के आकार और होर्स पावर जिनके लिये यह उत्पादक चाहा गया है, बतायेगा।

(2) यदि सरकार द्वारा ऐसा चाहा जाये, तो वह व्यक्ति, जिसने उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किया है:—

- (क) उस उत्पादक को, ऐसे परीक्षण के लिये ऐसी प्रयोगशाला में या वर्कशाप में और ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा, और
- (ख) अपने खर्चे पर उत्पादक लगा यान सड़क पर (सड़क यात्रा सहित जो लगातार 80 कि. मी. से कम नहीं होगी), जैसा सरकार विनिर्दिष्ट करे, ऐसे परीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

7.57. अनुमोदन के बाद प्रक्रिया.— (1) जब सरकार उत्पादक के किसी प्रकार या मॉडल का अनुमोदन करती है, वह आवेदक को तदनुसार लिखित में सूचित करेगी और वर्णन, नाम, चिन्ह या संख्या जिसके अधीन उसे बिक्री के लिये रखा जा सकेगा, उसे बतायेगी।

(2) कोई व्यक्ति किसी ऐसे उत्पादक को न तो बेचेगा या न बेचने को पेश करेगा, जो नियम 7.62 के खण्ड (ग) के अनुसार जनरेटर पर सरकार द्वारा अनुमोदित विनिर्देश से प्रत्येक तात्विक बारे में अनुरूप न हो।

(3) कोई निर्माता, जो उत्पादक के अनुमोदित प्रकार या मॉडल के विनिर्देशों या डिजाइन को किसी प्रकार से परिवर्तित करने या उसमें सुधार करने का प्रस्ताव करता है, तो वह उस सुधरे हुए प्रकार या मॉडल को बिक्री के लिये पेश करने से पहले, सरकार को प्रस्तावित सुधार या परिवर्तन के विवरण सहित आवेदन करेगा और उस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) Upon receipt of an application under sub-rule (3) the Government may, if it thinks fit, require the modified type of model to be more subjected to the tests specified in sub-rule (2) of rule 7.63.

**7.58. Government to satisfy that design, etc. of producers are according to rules.**— (1) Before according approval to any type or model of producers, the Government shall satisfy itself that the design and construction thereof as proposed are in accordance with the provisions of these rules and in particular that:—

- (a) the design is reasonably simple and suitable to the type of the vehicle for which it is intended and is such that it can be fitted to the vehicle in a way so as:—
  - (i) not to impede the driver's vision and control of the vehicle,
  - (ii) not to endanger the convenience and safety of passengers.
  - (iii) to enable the reasonable distribution of the weight of the producer over the chassis; and
  - (iv) to enable the fitting in readily accessible place of the filter, coolers, pipes and other parts requiring frequent clearing and attention;
- (b) the effective capacity of the generator, hopper and filters is sufficient to provide fuel to propel the vehicle for a distance of not less than 80 miles without recharging its hopper or clearing the filters;
- (c) the producer is capable of providing gas to propel the vehicle by the gas along a level road with its full lawful load at a sustained rate of speed of not less than:—
  - (i) in the case of a goods vehicle not being a heavy transport vehicle, 32 kilo meters per hour.
  - (ii) in the case of a goods vehicle, being a heavy transport vehicle 24 k.m. per hour.
  - (iii) in any other case, 40 k.m. p.h.
- (d) the material and methods of construction specified by the applicant are, save as otherwise declared by the applicant, calculated to withstand fair wear and tear for a period of not less than two years under the normal conditions of working of the type of vehicle for which the producer is intended.

(2) The instructions for the working of the producer shall be subject to the approval of the Government which shall cause to be endorsed thereon a statement of the material and parts declared by the applicant not to be calculated to withstand two years fair wear and tear.

**7.59. Copy of instructions to accompany of sale of Producer.**— A copy of the instructions for the working of the producer as approved and endorsed under sub-rule (2) of rule 7.65 and bearing upon it the particulars specified in clause (c) of rule 7.62, shall be attached to, or tendered with every producer offered for sale.

(4) उप-नियम (3) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सरकार, यदि उपयुक्त समझे, तो उस परिवर्तित प्रकार या मॉडल का नियम 7.63 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट परीक्षण करने की अपेक्षा कर सकेगी।

7.58. सरकार का यह समाधान करना कि उत्पादक की डिजाइन आदि नियमानुसार हैं—  
(1) किसी उत्पादक के किसी प्रकार या मॉडल का अनुमोदन करने से पहले, सरकार अपना समाधान करेगी कि उसकी डिजाइन और निर्माण, जैसा प्रस्तावित है, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार है, और विशेष रूप से यह :

- (क) कि डिजाइन उचित रूप से सरल और उस यान के प्रकार के लिये उपयुक्त है, जिसके लिये वह चाही गयी है और ऐसी है कि वह यान पर इस प्रकार लगाई जा सकती है कि:
  - (i) वह चालक की दृष्टि और यान पर नियंत्रण में रुकावट नहीं है,
  - (ii) यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिये खतरा नहीं है,
  - (iii) वह उत्पादक के वजन को चेसिस के ऊपर उचित वितरण करने देती है, और
  - (iv) फिल्टर, कूलर, पाइप और अन्य भाग जिनको बार-बार सफाई और ध्यान की आवश्यकता है, के स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सके;
- (ख) कि जनरेटर, होपर और फिल्टरों की प्रभावशाली क्षमता यान को, चलाने के लिये इसके होपर को बिना दुबारा चार्जिंग किये या फिल्टर्स को बिना साफ किये 80 मील से अन्यून दूरी तक ईंधन प्रदान करने के लिये पर्याप्त है;
- (ग) कि उत्पादक गैस द्वारा यान को चलाने के लिये किसी समतल सड़क पर अपने पूरे विधि सम्मत लदान सहित निम्नलिखित गति की संधारित दर पर गैस प्रदान करने के लिये सक्षम है:
  - (i) मालयान के मामले में, जो भारी परिवहन यान नहीं है— 32 किलोमीटर प्रति घण्टा से कम नहीं।
  - (ii) मालयान के मामले में, जो भारी परिवहन यान है— 24 कि.मी. प्र. घं. से कम नहीं।
  - (iii) किसी अन्य मामले में, 40 कि.मी. प्र.घं. से कम नहीं।
- (घ) कि आवेदक द्वारा अन्यथा घोषित किये गये को छोड़कर, आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सामग्री और निर्माण के तरीकों की संगणना उस यान के प्रकार की, जिसके लिये उत्पादक वांछित है, कार्य क्षमता की साधारण दशाओं के अधीन उचित टूट-फूट और घिसाई के साथ 2 वर्ष से अन्यून अवधि के लिये सामना करने के लिये की गई है।

(2) उत्पादक की कार्य क्षमता के लिये अनुदेश सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन होंगे, जो उस पर एक विवरण पृष्ठांकित करवायेगी कि आवेदक द्वारा घोषित सामग्री और पुर्जों को दो वर्ष तक उचित टूट-फूट का सामना करने के लिये संगणित नहीं किया जायेगा।

7.59. उत्पादक की बिक्री के साथ अनुदेशों की प्रति.— नियम 7.65 के उप-नियम (2) के अधीन अनुमोदित और पृष्ठांकित उत्पादक की कार्य क्षमता के लिये अनुदेशों की एक प्रति जिस पर नियम 7.62 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट होंगी, प्रत्येक उत्पादक की बिक्री के लिये पेश करते समय उसके साथ सहबद्ध होगी या दी जायेगी।

**7.60. Design of producer.**— Every producer shall be designed, manufactured, fitted and maintained with all reasonable care necessary to prevent damage to the engine of the vehicle to which is fitted and from fire, gas poisoning, and burns and in particulars:—

- (a) all gas filters shall be properly fitted and kept clean and shall not be removed or interfered with in any way likely to cause injury to the engine or the vehicle to which it is fitted.
- (b) all pipes, joints, valves, and all covers to the hoppers, generators cooling chambers, filters and other accessories shall be free from gas or air leaks, and
- (c) if an escape funnel is fitted to the generator for use during the blowing of air through the generator, the mouth of the funnel shall be placed above the level of the roof of the Vehicle.

**7.61. Fixing of producer.**— (1) No part of any producer shall be placed so as to reduce the field or vision of the driver by means of the mirror prescribed in rule 7.3 or otherwise, or so as to impede the driver in his control of the vehicle.

(2) In a public service vehicle;—

- (a) no part of the producer shall be placed within the passenger's compartment; and
- (b) the generator shall be placed in the rear or at the side shall be recessed into the passenger's compartment and shall be properly isolated and heat insulated and have the clearance prescribed in rule 7.69.

Provided that notwithstanding the provisions of rule the generator and a reserved of fuel not exceeding 75 K.G. in weight, may be carried on a trailer attached to a public service vehicle.

(3) No public service vehicle fitted with a producer shall have any opening or door in the rear end of the vehicle.

(4) In a transport vehicle other than a public service vehicle, the generator shall not be placed forward of the rear of the driver's seat and shall be insulated and have the clearance prescribed in rule 7.69.

**7.62. Should it not be seat.**— (1) On any motor vehicle if any part of the generator is so placed as to be within a distance of 15 centimeter in a horizontal place from any part of the vehicle, the vehicle shall be insulated from the generator by a sheet of asbestos one eighth of 26 c.m. thick or by such other insulating material as the Government may be general or special order in writing specify in this behalf, not less in height than to height of the generator (including the hopper) and of such a width as:—

- (a) where the generator is recessed, completely to line the recess, and
- (b) where the generator is not recessed, the project for a distance of not less than 15 centimeter on either side of the generator.

7.60. उत्पादक का डिजाइन.— प्रत्येक उत्पादक सब प्रकार की उचित सावधानी के साथ डिजाइन किया गया, निर्मित, लगाया और सधारित किया जायेगा जो उस यान के इन्जिन को नुकसान से बचायेगा जिस पर वह लगाया गया है और आग, गैस के विष फैलने और जलने से बचायेगा, और विशेष रूप से:—

- (क) सब गैस-फिल्टर अच्छी तरह से लगाये जायेंगे और साफ रखे जायेंगे और किसी प्रकार से ऐसे हटाये या छेड़े नहीं जायेंगे, जिससे कि उनसे इन्जिन या यान को, जिसमें वह लगाया गया है, कोई क्षतिकारित होने की सम्भावना हो।
- (ख) सब पाइप जोइन्ट वाल्व और होपर, जनरेटरों, कूलिंग चैम्बरों, फिल्टरों के सब आवरण और अन्य उपकरण गैस या हवा के स्राव से मुक्त होंगे, और
- (ग) जनरेटर से होकर हवा के प्रवाह के दौरान काम में लेने के लिये यदि जनरेटर के साथ निकास-फनल लगा हो, तो उस फनल का मुख यान की छत के स्तर से ऊपर रखा जायेगा।

7.61. उत्पादक को लगाना.— (1) उत्पादक का कोई भाग इस प्रकार नहीं रखा जायेगा, जिससे नियम 7.3 में विहित दर्पण के माध्यम से या अन्यथा चालक को दृष्टि क्षेत्र में कमी आ जाये या चालक के द्वारा यान पर उसके नियंत्रण में बाधा आये।

(2) सार्वजनिक सेवा यान में:—

- (क) उत्पादक का कोई भाग यात्रियों के कक्ष के भीतर नहीं रखा जायेगा; और
- (ख) जनरेटर को पीछे या एक ओर में रखा जायेगा और यह यात्री कक्ष में किसी एकान्त स्थान में होगा और उसे उचित रूप से अलग और तापरोधी किया जायेगा और नियम 7.69 में निर्धारित खाली स्थान रखना होगा:

परन्तु इस नियम के उपबन्धों के होते हुए भी, सार्वजनिक सेवा यान से सहबद्ध ट्रेलर में जनरेटर और सुरक्षित ईंधन जो वजन में 75 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा, ले जाया जा सकेगा।

(3) किसी सार्वजनिक सेवा यान में, जिसमें उत्पादक लगा है, कोई खुला भाग या दरवाजा यान के पीछे के सिरे पर नहीं होगा।

(4) सार्वजनिक सेवा यान के अलावा किसी परिवहन यान में, जनरेटर चालक की सीट के पिछले भाग के आगे नहीं रखा जायेगा और उसे अचालक किया जायेगा और नियम 7.69 में निर्धारित खाली स्थान रखा जायेगा।

7.62. क्या यह सीट नहीं होनी चाहिये.— (1) किसी मोटर यान पर यदि जनरेटर का कोई भाग इस प्रकार रखा जाता है कि वह यान के किसी भाग से क्षितिज के समानान्तर स्थान में 15 सेन्टीमीटर के दूरी के भीतर है, तो उस यान को जनरेटर से अचालक करने के लिये 26 से.मी. के आठवें भाग जितनी मोटी एस्बेस्टोस शीट या ऐसे अन्य अचालक पदार्थ जो सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश से लिखित में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, का उपयोग किया जायेगा, जो जनरेटर (मय होपर) की ऊंचाई से कम ऊंचा नहीं होगा और इसकी चौड़ाई इस प्रकार होगी:

- (क) जहां जनरेटर को एकान्त स्थान में अलग किया गया है, तो उसकी पूरी लाइन, और
- (ख) जहां जनरेटर को अलग नहीं किया गया है, तो जनरेटर की दोनों तरफ 15 से.मी. से अन्यून दूरी के लिये बाहर निकाला जायेगा।

(2) No part of a generator shall have a clearance between it and the insulating material prescribed in sub-rule (1) of less than 6 cm.

**7.63. Generator.**— (1) In the case of a goods vehicle, the generator may be placed at the rear or side of the vehicle, as prescribed for a public service vehicle, or behind the driver's seat.

(2) When the generator is placed behind the driver's cab, it shall be adequately enclosed in a separate compartment and no goods shall be carried in that compartment.

**7.64. Position of generator.**— No generator and no pipe connecting the generator to the gas filters shall be so placed that the distance between any part of the generator or pipe is less than 121 centimeter from the filling point or office of the petrol tank unless the generator or pipe is efficiently screened by an adequate heat insulated partition.

**7.65. Position of filters and gas coolers.**— On any transport vehicle the filters and gas coolers shall be so placed as to be readily accessible for cleaning at any time.

**7.66. Producer to be firmly fixed.**— Every part of the producer shall be firmly and securely fixed in place, and all pipes, valves, joints and hoppers lids or covers shall at all times be maintained in a gas tight condition.

**7.67. Instructions for driver or person incharge.**— No driver or other person incharge of a motor vehicle to which a producer is fitted shall:—

- (a) at any time when there is fire in the generator, cause or allow the vehicle to stop or remain stationary at a distance of not less than ten metres from any other motor vehicle or not of less than 20 meters from any petrol pump or place where petrol is supplied in tins;
- (b) at any time when there is fire in the generator, pour petrol or cause or allow petrol to be poured into the petrol tank;
- (c) carry, or cause or allow to be carried, in the vehicle (save in the regular petrol tank thereof) any petrol or other inflammable or explosive substance;
- (d) clean or take out the generator at any appointed bus stand or stopping place or within a distance of not less than 20 meters from any other motor vehicle, or cause or allow the same to be done by any person;
- (e) where a park, bus stand, or halting place or a part of a park, bus stand or halting place is set apart for vehicle fitted with producers, allow the vehicle to stop or remain stationary in any other park, bus stand or halting place or other part thereof as the case may be;
- (f) place the vehicle or allow it to be placed, in any garage or shed unless the garage or shed is provided with a permanent opening or opening for sufficient ventilation other than doors and windows that may be closed.

**7.68. Projection of producer.**— (1) The projection of any part of a producer beyond the rear of the vehicle shall be deemed, not to be a part of the vehicle for the purposes of Central Motor Vehicles Rules, 1989 in regards overall length and overhang.

(2) जनरेटर के किसी भाग और उप-नियम (1) में निर्धारित अचालक सामग्री के बीच 6 सेमी का खाली स्थान नहीं रखेगा।

7.63. जनरेटर.— (1) किसी माल यान के मामले में, जनरेटर को, जैसा कि सार्वजनिक सेवा यान के लिये विहित है, यान के पिछले भाग में या एक ओर या चालक की सीट के पीछे रखा जा सकेगा।

(2) जब जनरेटर को चालक के कैब के पीछे रखा जाये, तो इसे पर्याप्त रूप से एक अलग कक्ष में बन्द किया जायेगा और कोई माल उस कक्ष में नहीं ले जाया जायेगा।

7.64. जनरेटर की स्थिति.— कोई जनरेटर और जनरेटर को गैस फिल्टरों से जोड़ने वाले कोई पाइप इस प्रकार नहीं रखे जायेंगे कि जनरेटर के किसी भाग या पाइप और पेट्रोल की टंकी के भरने के बिन्दु या मुख के बीच की दूरी 121 सेंटीमीटर से कम हो, जब तक कि जनरेटर या पाइप को किसी उचित ताप अवरोधक विभाजक के द्वारा दक्षतापूर्वक सुरक्षित न कर दिया गया हो।

7.65. फिल्टर और गैस कूलर की स्थिति.— किसी परिवहन यान पर फिल्टरों और गैस कूलरों को इस प्रकार रखा जायेगा कि वे सफाई के लिये किसी भी समय आसानी से सुगम हों।

7.66. उत्पादक को दृढ़ता से स्थिर किया जाये.— उत्पादक के प्रत्येक भाग को उसके स्थान पर मजबूती से और कसकर स्थिर किया जायेगा और सब पाइप, बाल्व, जोइंट और होपर लिड या कवर सदा गैस-टाइट हालत में रखे जायेंगे।

7.67. चालक या भारसाधक व्यक्ति के लिये अनुदेश.— मोटर यान, जिसके साथ उत्पादक लगा हुआ है, का कोई चालक या भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:—

- (क) किसी समय जब जनरेटर में आग लग गई हो, तो वह उस यान को किसी दूसरे मोटर यान से दस मीटर से अन्यून दूरी पर या पेट्रोल पम्प से या उस स्थान से जहां पेट्रोल सप्लाई किया जाता है, 20 मीटर से अन्यून दूरी पर न तो रोकेगा, न खड़ा रहने देगा, न ही ऐसा करने की अनुमति देगा;
- (ख) किसी समय जब जनरेटर में आग लग गयी हो, तो वह पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल नहीं भरेगा या पेट्रोल नहीं डलवायेगा या ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा;
- (ग) यान में (उसकी नियमित पेट्रोल की टंकी को छोड़कर) कोई पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील या विस्फोटक सामान न तो ले जायेगा, न ले जाने देगा, न ही ऐसा करने की अनुमति देगा;
- (घ) जनरेटर को किसी निश्चित बस स्टैण्ड या ठहरने के स्थान पर या किसी दूसरे मोटर यान से 20 मीटर से अन्यून दूरी के भीतर न तो साफ करेगा या न बाहर निकालेगा या किसी अन्य व्यक्ति को न ऐसा करने देगा या न ऐसी अनुमति देगा;
- (ङ) जहां उत्पादक लगे यानों के लिये कोई पार्क, बस स्टैण्ड या ठहरने का स्थान या उनके कोई भाग अलग से रख दिये गये हों, तो किसी अन्य पार्क बस स्टैण्ड या ठहरने के स्थान या उनके किसी भाग में, यथास्थिति, यान को ठहरने या खड़ा करने की अनुमति नहीं देगा;
- (च) यान को किसी गैरेज या शेड में न तो रखेगा न रखने की अनुमति देगा, जब तक कि उस गैरेज या शेड में, उन दरवाजों और खिड़कियों के अलावा जो बन्द की जा सकती हैं, एक स्थायी खुला स्थान या पर्याप्त वायु-प्रकाश आने-जाने का कोई खुला स्थान न हों।

7.68. उत्पादक का प्रक्षेप.— (1) उत्पादक के किसी भाग का यान के पिछले भाग से बाहर निकलना, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रयोजनार्थ, सकल लम्बाई और ओवर हैंग के बारे में यान का भाग नहीं समझा जायेगा।



(2) No producer shall be fitted to any motor vehicle in such a way that the vehicle thereby contravenes the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 in regards overall width and overall height.

**7.69. Any officer authorised by Government in this behalf may at any time.**— (1) Inspect any motor vehicle fitted with a gas producer for the purpose of seeing that the producer is of an approved type and is fitted in accordance with these rules, and that the gas filter and other parts are properly cleaned and maintained;

(2) Enter into and inspect any premises where producer gas plants are either manufactured or fitted, for the purpose of seeing that the plant manufactured and the materials used in the manufacture thereof are of the approved specifications, and/or that the plant is fitted in accordance with these rules.

**7.70.** All applications in respect of the manufacture and approval of gas producers to be installed in motor vehicles should be made to the Secretary to Government in the Transport Department.

**7.71.** No certificate of fitness shall be issued or renewed under rule 4.18 in respect of vehicle fitted with a gas plant unless the plant, and the fitting of the plant to the vehicle, have been inspected tested and passed by an officer authorised by Government under rule 7.69 and the certificate has been endorsed by him to this effect.

No fee is payable for this inspection.

### **SPECIAL RULES LAYING DOWN SPECIFICATIONS FOR MOTOR CYCLE, RICKSHAW AND TEMPO BODIES**

**7.72. Type of body and Material.**— (1) (a) The body of every auto Rickshaw shall be either of a station wagon or a box type or hackney carriage type, as approved by the State Transport Authority, soundly constructed to the satisfaction of the Registering Authority and shall be securely fastened to the frame of the vehicle. There shall be adequate arrangements for protection of passengers from sun, wind and rain. The material used in the construction shall be strong and of good quality.

(b) The body of every tempo shall be constructed to the satisfaction of Registering Authority and shall be securely fastened to the frame of the vehicle. There should be adequate arrangement for protection of passenger from sun, wind and rain. The material used in the construction shall be strong and of good quality.

(2) The roof shall be so constructed as to provide protection for passengers from sun and rain, and shall be either of metal sheeting or canvass or some other suitable materials.

**7.73. Overhang.**— The overhang of the body shall not exceed forty one percent of the distance between the plane perpendicular to the axis of the auto rickshaw which passes through the centre of the front wheel and the centre of the rear axle.

**7.74. Over all Width.**— (1) 4 passengers auto rickshaw and tempo.— Overall width measured at right angles to the axis of the planes enclosing the extreme points, shall be not more than 176 cm. and not less than 124 cm.

(2) कोई उत्पादक किसी मोटर यान में इस प्रकार स्थिर नहीं किया जायेगा कि इससे वह यान केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के सकल चौड़ाई और सकल प्रकाश से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन करे।

7.69. इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी समय.— (1) किसी ऐसे मोटर यान का, जिसमें कोई गैस उत्पादक लगा हुआ है, यह देखने के प्रयोजन से निरीक्षण कर सकेगा कि वह उत्पादक एक अनुमोदित प्रकार का है और इन नियमों के अनुसार लगाया गया है और गैस फिल्टर तथा अन्य पुर्जों की उचित रूप से सफाई और संधारण किया जाता है।

(2) किसी परिसर में, जहां उत्पादक गैस प्लान्ट या तो निर्मित होते हैं या लगाये जाते हैं, यह देखने के प्रयोजन से प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा कि निर्मित प्लान्ट और उसके निर्माण में लगी सामग्री अनुमोदित विनिर्देश के अनुसार है और/या कि प्लान्ट इन नियमों के अनुसार लगाया जाता है।

7.70. मोटर यानों में लगाये जाने वाले गैस-उत्पादकों के निर्माण और अनुमोदन के बारे में सब आवेदन परिवहन विभाग के शासन सचिव को दिये जाने चाहिये।

7.71. नियम 4.18 के अधीन कोई उपयुक्तता प्रमाण-पत्र गैस प्लान्ट से युक्त यान के बारे में जारी या नवीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि नियम 7.69 के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, उस प्लान्ट या यान में प्लान्ट के लगाने का निरीक्षण, परीक्षण न कर लिया गया हो और उसे पास न कर दिया गया हो और उसके द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन उस प्रमाण-पत्र पर न कर दिया गया हो।

इस निरीक्षण के लिये कोई फीस संदेय नहीं है।

### मोटर साइकिल, रिक्शा और टेम्पो बॉडी के लिये विनिर्देश निर्धारित करने के लिये विशेष नियम

7.72. बॉडी का प्रकार और सामग्री.— (1) (क) प्रत्येक ऑटो रिक्शा की बॉडी या तो स्टेशन वैगन या बाक्स टाइप या हैकनी कैरिज टाइप, जैसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, रजिस्ट्रीकर्ता-प्राधिकारी के समाधान के मजबूती से निर्मित और यान के फ्रेम से सुरक्षित रूप से लगी हुई होगी। यात्रियों को धूप, हवा और वर्षा से बचाने के लिये उसमें समुचित व्यवस्था होगी। निर्माण में लगी सामग्री मजबूत और अच्छी गुणवत्ता की होगी।

(ख) प्रत्येक टेम्पो की बॉडी रजिस्ट्रीकर्ता-प्राधिकारी के समाधान के अनुसार निर्मित की जायेगी और यान के फ्रेम से सुरक्षित रूप से लगाई जायेगी। इसमें यात्रियों की धूप, हवा और वर्षा से बचाव के लिये समुचित व्यवस्था होगी और निर्माण में लगी सामग्री मजबूत और अच्छी गुणवत्ता की होगी।

(2) छत इस प्रकार से निर्मित की जायेगी, जिससे यात्रियों का धूप और वर्षा से बचाव हो और या तो धातु की चद्दर या कैनवास या अन्य उपयुक्त सामग्री की बनी होगी।

7.73. झुकाव.— बॉडी का झुकाव समतल लम्बवत से ऑटो रिक्शा के केन्द्र बिन्दु, जो सामने के पहिये के लिये केन्द्र और पिछली धुरी के केन्द्र में से होकर गुजरता है, के बीच की दूरी के इकतालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

7.74. सकल चौड़ाई.— (1) चार यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा और टेम्पो—बाहरी बिन्दुओं से घिरे हुए समतलों के केन्द्र से समकोण पर मापी गई सकल चौड़ाई 176 से.मी. से अधिक और 124 से. मी. से कम नहीं होगी।

(2) **3 passengers auto rickshaw.**— The overall width measured to right angles to the axis of the planes enclose in the extreme point shall not be more than 158 cm. and less than 122 cm.

(3) **2 passengers auto rickshaw.**— The overall width measured at right angles to the axis of the planes enclosing the extreme point shall be not more than 142 cm. and less than 106 cm.

**7.75. Over all height.**— (1) **4 passengers auto rickshaw.**— The overall height measured from the surface on which auto rickshaw stands shall not exceed 183 cm. and there shall be at least 122 cm. clear head space between floor board and the roof.

(2) **3 passengers and 2 passengers auto rickshaw.**— The overall height measured from the surface on which auto rickshaw stands shall not exceed 183 cm. and there shall be at least 122 cm. clear head space between floor board and the roof.

<sup>1</sup>[(3) **Tempo.**— The overall height measured from the surface on which Tempo stands shall not exceed 180 cm. excluding the height of the luggage carrier, if provided and there shall be at least 122 cm. clear head space between floor board and the roof.]

**7.76. Road Clearance.**— The Road clearance of every auto rickshaw shall not be more than 20 cm. and not less than 10 cm.

**7.77. Clearance of floor board.**— (1) **4 passengers auto rickshaw.**— The floor board shall be not less more than 56 cm. above the surface on which the auto rickshaw stands.

(2) **Passenger :auto rickshaw.**— The floor board shall not more than 56 cm. above the surface on which the auto rickshaw stands.

**7.78. Lights.**— Every auto rickshaw and Tempo shall be fitted with one head and two side white lights on the body in the front.

In addition to the front light, an auto rickshaw shall be fitted with the rear lamp showing to the rear a red light visible from a distance 167 meters and illuminating with white light the Registration Mark exhibited on the rear of the vehicle, so as to render it legible from a distance of 17 metres and also 2 cat's reflectors on the rear mud-guards, so as to warn vehicular traffic approaching from behind that there is an auto rickshaw ahead. If no mud-guards are used, cat's eye reflectors in the rear will be optional.

**7.79. Driver's seat and Cabin.**— (1) The back of the driver's seat should have at least 112 cm. of clearance from the front panel of the body. A wind screen shall be provided for the driver.

(2) In case of a tempo type body there shall be a fixed partition of the front seat between the driver's seat and the passenger's seats. This will be fixed in such a manner so as to leave not more than 38 cm. of space for the single passenger on the front seat. In between the driver's cabin and the main seating room, there shall be provided a fixed partition of horizontal bars in a manner that no passengers can sit on the partition.

1. Subs. by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex. ord. Pt.-1(Ga)(I), dated 27.7.1993). (w.e.f. 27.7.1993).

(2) **तीन यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा**—बाहरी बिन्दुओं से घिरे हुए समतलों के केन्द्र से समकोण पर मापी गई सकल-चौड़ाई 158 से.मी. से अधिक और 122 से.मी. से कम नहीं होगी।

(3) **दो यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा**—बाहर के बिन्दुओं से घिरे हुए समतलों के केन्द्र से समकोण पर मापी गई सकल चौड़ाई 142 से.मी. से अधिक 106 से.मी. से कम नहीं होगी।

7.75. सकल ऊँचाई.— (1) **चार यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा**—उस धरातल से, जिस पर ऑटो रिक्शा खड़ा है, मापी गई सकल ऊँचाई 183 से.मी. से अधिक नहीं होगी और तल-पट्ट से छत के बीच कम से कम 122 से.मी. का स्पष्ट शीर्ष-स्थान रहेगा।

(2) **तीन और दो यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा**—उस धरातल से, जिस पर ऑटो रिक्शा खड़ा मापी गई सकल ऊँचाई 183 से.मी. से अधिक नहीं होगी और तल-पट्ट से छत के बीच कम से कम 122 से.मी. का स्पष्ट शीर्ष-स्थान रहेगा।

1[(3) **टैम्पो**—सतह, जिस पर टैम्पो खड़ा होता है, से नापी गई कुल ऊँचाई सामान वाहक, यदि लगाया गया हो, की ऊँचाई को छोड़कर 180 से.मी. से अधिक नहीं होगी और तल-पट्ट और छत के बीच स्पष्ट ऊँचाई कम से कम 122 से.मी. होगी।]

7.76. सड़क क्लियरेन्स.— प्रत्येक ऑटो रिक्शा का सड़क क्लियरेन्स 20 से.मी. से अधिक और 10 से.मी. से कम नहीं होगा।

7.77. तल-पट्ट के बीच का स्थान.— (1) **चार यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा**—तल-पट्ट उस धरातल से, जिस पर ऑटो रिक्शा खड़ा है, 56 से.मी. से अधिक ऊपर नहीं होगा।

(2) **यात्री ऑटो रिक्शा**— तल-पट्ट उस धरातल से, जिस पर ऑटो खड़ा है, 56 से.मी. से अधिक ऊपर नहीं होगा।

7.78. लाइटें.— प्रत्येक ऑटो रिक्शा और टेम्पो में बॉडी के सामने एक हेड में और दो साइड में सफेद लाइटें लगाई जायेंगी।

सामने की लाइटों के अतिरिक्त, एक ऑटो रिक्शा के पीछे रियर-लैम्प लगाया जायेगा जो पीछे की ओर एक लाल लाइट दिखायेगा जिस 167 मीटर की दूरी से देखा जा सके और यान के पीछे प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन चिन्ह सफेद लाइट से इस प्रकार प्रकाशित हो कि उसको 17 मीटर की दूरी से देखा जा सके और दो कैट आई-रिफ्लेक्टर पिछले मड-गार्ड पर लगाये जायेंगे ताकि पीछे से आने वाले यातायात को चेतावनी हो कि आगे एक ऑटो रिक्शा है। यदि मड-गार्ड नहीं है, तो पीछे कैट-आई-रिफ्लेक्टर लगाना ऐच्छिक होगा।

7.79. चालक की सीट और कैबिन.— (1) चालक की सीट की पीठ और बॉडी के सामने के पैनल से कम से कम 112 से.मी. का बीच का स्थान होना चाहिये/चालक के लिये एक विन्ड-स्क्रीन की व्यवस्था होगी।

(2) टेम्पो टाइप बॉडी के मामले में, चालक की सीट और यात्रियों की सीटों के बीच में एक स्थाई विभाजक होगा। यह ऐसे तरीके से लगाया जायेगा कि सामने की सीट पर एकल यात्री के लिये 38 से.मी. से अनधिक का स्थान छोड़े। चालक के कैबिन और बैठने के मुख्य स्थान के बीच में आड़ी छड़ों का स्थाई विभाजक इस प्रकार लगाया जायेगा कि कोई यात्री उस विभाजक पर न बैठ सके।

1. जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 27.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 27.7.1993).

**7.80. Gangway.**— In every 4 passengers auto rickshaw, the entrance to which is from the front, of rear and seats are placed across the vehicle there shall be gangway of not less than 31 cm.

**7.81. Seating room and foot board.**— (1) (i) **4 passengers auto rickshaw.**— There shall be provided for each passenger reasonably comfortable seating space of not less than 41 cm. square measured in straight lines along and at right angles to the front of each seat.

The seats shall be placed across the vehicle and when all seats face in the same direction, there shall be at all place a clear space of not less than 64 cm. between the backs of either of the seats and they shall face to the front or two seats to the front and two to the rear back to back, Seats along side the body shall not be allowed.

(ii) **3 passengers auto rickshaw.**— There shall be provided a seat not more than 131 cm. and not less than 114 cm. in length. The depth of seat shall not be less than 41 cm.

(iii) **2 passengers auto rickshaw.**— There shall be provided a seat not more than 112 cm. and not less than 91 cm. on length. The depth of seat shall not be less than 41 cm.

(2) The back of all seats shall be slanting and closed to a height of at least 46 cm. above the level of the seat in both cases.

(3) The seats shall be provided with fixed or movable cushions. The cushions shall be covered with leather cloth of good quality or other material of such kind that they are capable of being kept in a clear and sanitary condition.

(4) The height of the seats from the floor shall be not less than 36 cm. (including cushions.)

<sup>1</sup>[(5) **Tempo.**— (a) In the case if a Tempo not more than two seats of 115 Cm. x 38 Cm. shall be placed across the chassis, facing each other in the seating room. The seats and the back of the seats shall be provided with good cushion and cover. The seat provided for passenger shall be of not less than 38 Cm. x 38 Cm.

(b) The seating room shall be furnished with one or more electric lights to give adequate illumination and shall be so screened as not to impair the forward vision of the driver.

(c) The foot board shall be on the left hand side of the vehicle and shall not exceed 15 Cm. x 15 Cm. and no passenger shall be allowed to travel standing on the foot board. No entrance and exit for the passenger except from the left hand side shall be allowed.]

(6) **Leg Space.**— (i) **4 passengers auto rickshaw.**— There shall be provided atleast 28 cm. leg space.

(ii) **3 passengers and 2 passengers auto rickshaw and tempos.**— There shall be provided at least 38 cm. leg space.

<sup>2</sup>[(7) Tempo registered prior to these rules shall not be allowed to ply after expiry of two years from the day on which these rules will come into force, unless the body of such tempo is constructed/modified to meet the requirements laid down in these rules.]

<sup>1</sup> Subs. by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 27.7.1993). (w.e.f. 27.7.1993).

<sup>2</sup> Added by Ibid.

7.80. मार्ग.— प्रत्येक चार यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा में, जिसमें प्रवेश आगे या पीछे से है और सीटें यान के आर-पार रखी गई हैं, 31 से.मी. से कम का मार्ग नहीं होगा।

7.81. बैठने का स्थान और फुटबोर्ड.— (1) (i) चार यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा—प्रत्येक यात्री के लिये उचित रूप से आरामदायक बैठने के स्थान की व्यवस्था होगी, जो 41 वर्ग से.मी. से कम नहीं होगी, जिसे प्रत्येक सीट के सामने से समकोणों के साथ मापा जायेगा।

जब सीटें यान के आर-पार लगाई गई हों और वे सब सीटें एक ही दिशा की ओर मुख किये हों, तो दो सीटों की पीठ के बीच की स्पष्ट जगह 64 से.मी. से कम नहीं होगी। वे सामने को मुख किये होंगी या दो सीटें सामने और दो पिछली पीठ पर। बॉडी के साथ-साथ की साइड में सीटों की अनुमति नहीं होगी।

(ii) तीन यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा—लम्बाई में एक सीट 131 से.मी. से अधिक और 114 से.मी. से कम नहीं होगी। सीट की गहराई 41 से.मी. से कम नहीं होगी।

(iii) दो यात्रियों वाले ऑटो रिक्शा—लम्बाई में एक सीट 112 से.मी. से अधिक और 91 से.मी. से कम नहीं होगी। सीट की गहराई 41 से.मी. से कम नहीं होगी।

(2) दोनों मामलों में सब सीटों की पीठ ढालू होगी और सीट के लेवल से कम से कम 46 से.मी. की ऊंचाई पर बन्द होगी।

(3) सीटों पर स्थाई या हटाने योग्य गद्दियां होंगी। गद्दियों पर अच्छी गुणवत्ता का लेदर क्लॉथ या इस प्रकार की अन्य वस्तु लगाई जायेगी, ताकि वे साफ और स्वच्छ दशा में रखी जा सकें।

(4) आंगन से सीटों की ऊंचाई 36 से.मी. (कुशन सहित) से कम नहीं होगी।

<sup>1</sup>[(5) टैम्पो— (क) टैम्पो के मामले में बैठने के कक्ष में 115 से.मी. x 38 से.मी. की दो से अनधिक सीटें एक दूसरे के आमने-सामने चैसिस के आर-पार लगायी जायेंगी। सीटों और सीटों के पृष्ठ में अच्छी गद्दी और कवर लगाये जायेंगे। यात्री के लिये सीट 38 से.मी. x 38 से.मी. से कम की नहीं होंगी।

(ख) बैठने के कक्ष में पर्याप्त प्रकाश के लिये एक या अधिक विद्युत लाइटें लगायी जायेंगी और इस प्रकार ढकी जायेंगी, जिससे ड्राइवर को आगे देखने में परेशानी न हो।

(ग) पायदान यान की बायीं ओर होगा और 15 से.मी. x 15 से.मी. से अधिक का नहीं होगा और किसी भी यात्री को पायदान पर खड़े होकर यात्रा करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। बायीं ओर के अलावा यात्रियों का कोई भी प्रवेश और निकास अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।]

(6) टांगों के लिये स्थान— (i) चार यात्रियों का ऑटो रिक्शा— कम से कम 28 से.मी. स्थान टांगों के लिये रखा जायेगा।

(ii) तीन यात्रियों या दो यात्रियों के ऑटो रिक्शा और टैम्पो— कम से कम 38 से.मी. स्थान टांगों के लिये रखा जायेगा।

<sup>2</sup>[(7) इन नियमों के पूर्व रजिस्ट्रीकृत टैम्पो को इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चलाने के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे टैम्पो की बॉडी का सन्निर्माण/उपांतरण इन नियमों में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप न कर दिया जाये।]

1. जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 27.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 27.7.1993).

2. उपरोक्त द्वारा जोड़ा एवं लागू किया गया।

**7.82. Milometer.**— Every auto rickshaw shall be provided with suitable type of milometer to record total kilometer covered on the basis of which fare is paid and also a milometer of the type in which trip readings can be adjusted to zero or fare meter.

**7.83. Horn.**— Every auto rickshaw and tempo shall be fitted with a bulb horn.

<sup>1</sup>[**7.84. Overall length.**— In case of Tempo the overall length of the Tempo shall not exceed 420.5 Cms.]

**7.85. Colour.**— The colour of the lower body and front portion excluding the border of wind screen shall be black and the rest portion including the border of wind screen shall be yellow.

**7.86. Exemption by State Government.**— The State Government, may, in public interest or for sufficient reasons, by notification in the Rajasthan Gazette, exempt to such extent as may be specified in the notification, any motor vehicle or class of motor vehicles from all or any of the provisions of the Rules contained in this Chapter for specified purposes or areas, if it is satisfied that such vehicle or vehicles can be used in a public place without any danger to public safety.

**7.87. Exemption of road plant.**— Nothing in rules 7.3, 7.5 and 7.34 shall be apply to road rollers and other machines specially constructed or adapted for the construction or maintenance of roads.

## CHAPTER VIII CONTROL OF TRAFFIC

<sup>2</sup>[**8.1. District Collector and District Magistrate to restrict speed, weight, etc.**— District Collectors and District Magistrates in their respective Jurisdiction shall have the power.—

- (i) to impose speed limits,
- (ii) to impose limits on the laden weight or dimensions of motor vehicles, and to prohibit or restrict the use of motor vehicle generally or of a particular class or of trailers in a specified area or in respect of any road, and
- (iii) to designate any road as a main road or to declare any area as parking area or parking place or to restrict vehicle to park in a specified area.]

**8.2. Authorities empowered to erect traffic signals.**— (1) The District Collector and District Magistrate shall be the authority authorised to cause or permit traffic signs to be placed or erected in any public place for the purpose of regulating motor vehicle traffic within their respective jurisdictions.

(2) Any authority empowered to specify the maximum safe load for bridge or culvert or to close a public road or street may also for the purpose of exercising the said power erect the appropriate traffic signs.

1. Subs. by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 27.7.1993). (w.e.f. 27.7.1993).
2. Subs. by G.S.R. 82, dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 29.11.2002).

7.82. माइलोमीटर.— प्रत्येक ऑटो रिक्शा में उचित प्रकार का माइलोमीटर यात्रा के कुल किलोमीटर रिकार्ड करने के लिये होगा, जिसके आधार पर किराये का संदाय किया जाये, और एक ऐसे प्रकार का माइलोमीटर भी होगा, जिसमें ट्रिप की रीडिंग को शून्य या किराया-मीटर से समायोजित किया जा सके।

7.83. होर्न.— प्रत्येक ऑटो रिक्शा और टेम्पो में एक बल्ब होर्न लगाया जायेगा।

7.84. समग्र लम्बाई.— टेम्पो के मामले में टेम्पो की समग्र लम्बाई 420.5 से.मी. से अधिक नहीं होगी।

7.85. रंग.— नीचे की बॉडी और सामने के भाग, विन्ड स्क्रीन के बार्डर को छोड़ते हुए, का रंग काला होगा और विन्ड स्क्रीन के बार्डर सहित शेष भाग का रंग पीला होगा।

7.86. राज्य सरकार द्वारा छूट.— राज्य सरकार लोकहित में या पर्याप्त कारणों से राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सीमा तक जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी मोटरयान या मोटर यानों की श्रेणी को इस अध्याय में वर्णित नियमों के सब या कोई उपबंधों से विनिर्दिष्ट प्रयोजनों या क्षेत्रों के लिये छूट दे सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि यान या यानों को, लोक-सुरक्षा को किसी खतरे के बिना, सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है।

7.87. सड़क के संयंत्रों को छूट.— नियम 7.3, 7.5 और 7.34 की कोई भी बात रोड रोलरों और अन्य मशीनों को लागू नहीं होगी, जो सड़कों के निर्माण या संधारण के लिये विशेष रूप से निर्मित या अनुकूलित किये गये हैं।

## अध्याय—8

### यातायात का नियंत्रण

8.1 जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गति, वजन इत्यादि पर निर्बन्धन.— जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर:—

- (i) गति सीमाएं अधिरोपित करने,
- (ii) मोटर यानों के लदान, भार या आकारों पर सीमाएं अधिरोपित करने और मोटर यानों के सामान्यतः अथवा किसी वर्ग विशेष के या ट्रेलरों के उपयोग को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा किसी भी सड़क के सम्बन्ध में प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने, और
- (iii) किसी भी सड़क को मुख्य सड़क के रूप में अभिहित करने या किसी भी क्षेत्र को पार्किंग क्षेत्र या पार्किंग स्थल के रूप में घोषित करने या वाहनों को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में खड़ा करने से निर्बन्धित की शक्ति प्राप्त होगी।]

8.2. यातायात-संकेतक खड़े करने के लिये सशक्त प्राधिकारी.— (1) जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपनी सम्बन्धित अधिकारिता में मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक स्थान में यातायात संकेतक लगाने या खड़े करने या ऐसा करने की अनुमति देने के लिये प्राधिकृत प्राधिकारी होंगे।

(2) कोई प्राधिकारी, जो पुल या रपट के लिये अधिकतम सुरक्षित लदान विनिर्दिष्ट करने या किसी सार्वजनिक मार्ग या गली को बन्द करने के लिये प्राधिकृत है, वह उक्त शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिये यथोचित यातायात संकेतक भी खड़े करवा सकेगा।

1. जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 27.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 27.7.1993).
2. जी.एस.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 29.11.2002 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।